

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1964) की िारा 22 के िीं शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्निलिखित नियमावली िािें हैं क्िसे सरकारी अधिसूचा संख्या 5418-ई/िेरह-272-64, ददिंक 3 अतूबर, 1972 के िीं पहले प्रकालशि ककया िा चुका है।

नियमावली**उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974।****अध्याय-एक****प्रारंभिक**

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 कहलायेगी। (2) यह सरकारी गिट में प्रकालशि होिे के ददिंक 2 से प्रवृत्त होगी।
2. **परिार्षाँ** - िब िक ववषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षि ि हो, इस नियमावली में -
 - (क) **"अधिनियम"** का िात्ययभ उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1964) से है।
 - (ि) **"प्रदेशि ग्रहीता"** का िात्ययभ ऐसे व्यक्ति से है, क्िसके पि में अधिनियम की िारा-8 के िीं ककसी चीिी कारिािे 4 या **खाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई** के अध्यासी से अधिनियम में यथापररर्ावषि शीरा 4 **खरीदि** अथवा सम्रण करि के 4 **प्रयोजिथषआदेश ददया गया है।**
 - (ग) **"कैप्िव उपिोग"** िनिकाल ददया गया है।
 - (घ) **"प्रपत्र"** का िात्ययभ नियमावली के िीं निधि प्रपत्र से है।
 - (ङ) **"शीरा वर्ष"** का िात्ययभ 1 िवम्बर से प्रारम्भ होिे वाली और अगले वषभ के 31 अतूबर को समाप्ि होिे वाली अवधि से है।
 - (च) **"िारा"** का िात्ययभ उति अधिनियम की िारा से है।
 - (छ) **"संग्रहण टंकी"** का िात्ययभ अधिनियम की िारा 5 के िीं शीरे के निरापद संरिण के ललए उपबंधि आच्छाददि स्थाि से है।
 - (ि) **"उप निरीिक आबकारी"** का िात्ययभ संयुति प्रान्ि आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुति प्रान्ि ऐतट संख्या 4, 1910) की िारा 10 के िीं नियुति उप-निरीिक आबकारी से है।
 - (इ) **"शीरा"** का िात्ययभ गन्िा के रस या चीिी चाशी से चीिी या िाण्डसारी चीिी के ववनिमाभण के दौराि उपोत्पाद के रूप में उत्पाददि र्ारी, गहरे रंग के लसदार द्रव से है, िब इस रूप में या ककसी लमश्रण के रूप में द्रव में चीिी अन्िववभष्ट हो और इसमें राब या गुड से उत्रम प्रकरया के माध्यम से चीिी ववनिमाभण के दौराि प्राप्ि उपोत्पाद र्ी सक्मललि है।
- (2) इस नियमावली में अपररर्ावषि ककन्िु अधिनियम में पररर्ावषि शब्दों और पदों के वही अथभ होंगे िो अधिनियम में रमशः िके ललए समिुदेलशि हों।

**अध्याय-दो
शीरे का संरिण****3. अच्छाददत स्थाि की व्यवस्था**

- (1) **शक्कर** के ककसी कारिािे या **खाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई** का प्रत्येक अध्यासी, **चीिी कारिािे या खाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई** के रू-गृहादद के र्ीरि ििी संख्या और आकार की संग्रहण टंककयॉ रिगा क्िससे कक एक बार में चीिी कारिािे या **खाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई** के ललए िसमय रक्िसीकृि पूणभ

1 उत्तर प्रदेश गिट असारिण ददिंक िुलाई 18, 1974 में प्रकालशि आबकारी शिराग ववज्ञक्ि संख्या 16212 ई/ िेरह-272-73 ददिंक िुलाई 18, 1974 िुलाई, 18, 1974 से प्रर्वी।

3 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (सािवाँ संशोिि) नियमावली 2018 द्वारा प्रनिस्थावपि।

4 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (िवम संशोिि) नियमावली, 2026 द्वारा संशोधि।

5 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (िवम संशोिि) नियमावली, 2026 द्वारा निकाल ददया गया।

6 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (िवम संशोिि) नियमावली, 2026 द्वारा अन्िववभष्ट।

पेराई िमि के िुसार एक सौ चालीसकायभ ददवसों में पेरे िािे वाले सम्पूणभ गन्िे के चार प्रनिशि के दहसाब से संगखणि शीरे के कुल उत्पादि का न्यूिमि साठ प्रनिशि या वपछले 4 वषभ के सवाभधिक कुल उत्पादि का साठ प्रनिशि, िो र्ी अधिक हो, संग्रह कर सके। वह संग्रहण िमि में वृद्धि हेिु शीरा निधि का नियलमि आार पर उपयोग करेगा। केवल आपाि कस्थनि में, शीरा नियंत्रक द्वारा **शाप्स्त्रोपण करते हुये** आयािकार आच्छाददि कच्चे वपट की िुमनि 2 **इस शतष के साथ प्रदाि की जायेगी कक कच्चे वपिों में संधचत शीरे को मािसूि सीजि से पहले अनिवायष रूप से सम्रिरत कर भलया जायेगा,**

परन्तु यह कक ऐसी खाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाईयां, जहां पर अर्द्धठोस शीरे का उत्पादि होता है,

वहां शीरा संचय हेतु िंकीके स्थाि पर शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा ववदहत संचय िमता के पात्रों की व्यवस्था करि अनिवायष होगा।

प्रत्येक पी0डी0-2 लाइसेंस प्राप्त आसवि में शीरा संचय की अविवररत उपयुक्त आवश्यक िमता के अिसार अनतररक्त िंककयों की स्थापि कराया जािा आवश्यक होगा।

(2)(क)िहों नियंत्रक को ककसी िेत्र में पररवहि सुवविओं की उपलब्ििा में शीरे के बढे हुए उत्पादि के आार पर या उसके द्वारा अलललखि ककये िािे वाले ककसी अन्य आार पर कदठिई हो, वहाँ वह चीिी के ककसी कारिािे 2या खाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई के अध्यासी को यह निदेश दे सकि है कक वह निदेश में संसूधचि सीमा िक आच्छादि अनिररति, संग्रहण टंकी का उपबंि करे और िदुपरान्ि अध्यासी ऐसे संग्रहण टंकी का उपबंि ऐसी अवधि के र्ीर करेगा िैसा कक निदेश में ववनिददभष्ट हो।

(ि) चीिीकारिािे 2या खाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई में पेराई सत्र के दौराि शीरे के झाग के कारण संग्रहण िमि में कमी को पूणभ करि के ललए अध्यासी चीिी कारिािे या खाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई के पररसर में ऐसी िमि की आच्छादि पतकी मेसोिरी टंककयों अिरक्षि करेगा, िो झागकरण की क्स्थनि को नियंत्रि कर सके, क्िससे उप नियम-(1) के अीि संग्रहण िमि शीरा में झाग के कारण बाधि ि हो या उसमें कमी ि हो।

(3)शीरे के संग्रहण के ललए आच्छादि संग्रहण टंकी का प्रयोग नियंत्रक की पूवभ स्वीकृनि के त्रिा िहीं ककया िायेगा।

4. संग्रहण िंककयों की व्यवस्था (िारा 5) -

(1) सर्ी संग्रहण टंककया चीिी कारिािे या खाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई के अध्यासी द्वारा रमांककि की िायेगी और प्रत्येक टंकी को उसकी ववमाऔर संग्रहण िमि के साथ आवंदटिसंख्या को ककसी स्थायी िुडार (कितसचर) पर प्रदलशभि ककया िायेगा,

2परन्तु यह कक ऐसी खाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई जहां पर अर्द्धठोस शीरा उत्पाददत होता है, मेंशीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथाववदहत संचय िमता के पात्रों हेतु व्यवस्था की जायेगी तथा इस प्रकार संधचत शीरे के स्ाक का लेखा िरे हुये पात्रों की संख्या के अिसार अिरक्षित ककया जायेगा।

परन्तु यह और कक ऐसी खाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाईयों हेतु ववदहत पोषिल पर एक आासी शीरा संग्रहण िंकीिी रण्जसीकृत की जा सकेगी, ण्समें ककसी िी समय संधचत कुल शीरे की मात्रा ष्कंिल मेंप्रववषिकी जायेगी। पोषिल पर तदुसार ही िरे हुए पात्रों की संख्या िी अभिभलखखत की जायेगी। (2) चीिी के ककसी कारिािे या खाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई के अध्यासी द्वारा ववक्स्थि सर्ी संग्रहण टंककयों की ववमा शीरा प्रपत्र 14 में एक रक्िस्टर में अलललखि की िायेगी और प्रत्येक संग्रहण टंकी के सम्बन्ि में एक गेि चाटभ रक्िस्टर में यह प्रदलशभि करि के ललए रिा िायेगा कक टंकी में प्रत्येक 12 सेंिीमीरकी गइराई पर ककििे क्तवंटल शीरे की मात्रा है। संग्रहण टंककयों की गेक्िग इस प्रकार की िािी चादहए क्िसमें 45 प्रनिशि चीिी युति शीरा मािक समझा िाय।

1.उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (िवम संशोिि) नियमावली, 2026 द्वारा संशोधि। 2.उत्तर प्रदेश

शीरा नियंत्रण (िवम संशोिि) नियमावली, 2026 द्वारा अन्विवभष्ट।

5. संग्रहण िमता में पररवतषि (िारा 5 तथा 22) -

(1) यदद संग्रहण टंकी की संग्रहण िमि में कोई पररविभि करि का प्रस्ाव हो िो अध्यासी िब नियंत्रक को एक रूप रेिा (ब्लू वप्रन्ट) प्रस्िुि करेगा क्िसमें प्रत्येक संग्रहण टंकी की वास्विवक, क्स्थनि, रम संख्या, ववमा, प्रकार (िडी धचिाई) और उसकी प्रत्येक 1दो सेंिीमीर की गइराई पर िमि िा ऐसी टंककयों से िुड़े पाइप और निकास-िललयौ ददिई िायेगी।

(2) यदद कोई अनिररति संग्रहण टंकी उपनियम (1) के अीि प्रस्िुि रूप रेिा (ब्लू वप्रन्ट) में ि ददिई गयी हो और उसकी बाद में चीिीके कारिािे या िाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई के अध्यासी द्वारा व्यवस्था की िाय िो उसके ललए उसी प्रकार की रूप रेिा (ब्लू वप्रन्ट) नियंत्रक को उसका निमाभण ककये िािे के एक मास के र्ीर प्रस्िुि ककया िायेगा।

6. आसवनियों के भलए नियम 4 और 5 का लागू होिा (िारा 22) शीरे के निरापद संरिण हेतुनियंत्रक के निदेश

(िारा 5 और 22) - नियम 4 और 5 के उपबंि उत्तर प्रदेश राज्य में आसवनियों के स्वालमयों पर आसवि के प्रयोििों के ललए चीिी कारिािे 2या खाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाईयों द्वारा सम्ररि शीरे के

सम्बन्ि में आवश्यक पररविभिों के साथ लागू होंगे।

7. शीरे के निरापद संरिणहेतु नियंत्रक के निदेश- यदद नियंत्रक की यह राय हो कक ककसी संग्रहण टंकी या उसके ककसी युक्ति/उपायअथवा उसके िुडार क्िसके अीि दीवार, पाइप लाइ या निकास-िलली (ड्रेि) र्ी है, से चीिी कारिािे या

िण्डसारीचीी ववनिमाभण इकाई में उत्पाददि शीरे के गुण और मात्रा के निरापद संरिण से पयाभप्ि पूवोपाय िहीं हो पािा िो वह ललखि आदेश द्वारा चीीी कारिािे या िण्डसारीचीी ववनिमाभण

इकाई के अध्यासी को शीरे का निरापद संरिण सुनिश्च करि के ललए ऐसा आवश्यक उपाय, क्िसके अंगिभि दीवार, पाइप लाडि या निकास िाली को हटािा री है, करि की आज्ञा दे सकि है, और अध्यासी उसमें ववनिददभष्ट अवधि के रीरि ऐसे निदेशों का पालि करेगा।

83. **संग्रहण िंककयों में शीरे के संग्रहण और निस्तारण के भलए नियंत्रक के निदेश-**(1) नियंत्रक यह ववनिददभष्ट करेगा कक चीीी कारिािे या िण्डसारीचीी ववनिमाभण इकाई की संग्रहण टंककयों को ककस रम में री िाय या िाली ककया िाय और ऐसा निदेश चीीी के कारिािे या िण्डसारीचीी ववनिमाभण इकाई के अध्यासी पर बाध्यकारीहोगा।
(2) ककसी ववशेष शीरा वषभ में ककसी चीीी कारिािे या िण्डसारीचीी ववनिमाभण इकाई में उत्पाददि या संग्रहीि शीरा नियंत्रक की ललखि में पूवभ अिज्ञा के त्रिबा, वपछले शीरा वषभ के शीरे के साथ लमधश्रि िहीं ककया िायेगा।
(3) ककसी चीीी कारिािे या िण्डसारीचीी ववनिमाभण इकाई में शीरा िब िक संग्रहीि िहीं ककया िायेगा िब िक कक उसका विि या माप ि ककया गया हो।
(4) चीीी कारिािे या िण्डसारीचीी ववनिमाभण इकाई का अध्यासी इस बाि के ललए पयाभप्ि रिपाय करेगा कक ककसी शीरा वषभ में शीरे के संग्रहण में छीिि संग्रहीि शीरे के कुल मात्रा के **डेढप्रनतशत** से अधिक ि हो। यदद छीिि डेढ प्रनिशि से अधिक हो िो अध्यासी नियम के उल्लंघि के ललये अधिनियम के िीि अधिरोवपि शाक्स्ि का उत्तरदायी होगा।
परन्िु यह कक यदद नियंत्रक के संिोषािुसार यह सात्रबि कर ददया िाय कक दुधभटि या ककसी अन्य अपररहायभ कारण से उपयुभति ववदहि सीमा से अधिक छीिि या कमी हुई है िो अध्यासी ककसी शाक्स्ि का उत्तरदायी िहीं होगा।

दटप्पणी-उपनियम(3) और (4) री आसवनियों में शीरा के संग्रहण पर लागू होंगे।

1.उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (विम संशोिि) नियमावली, 2026 द्वारा संशोधि।2.उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (विम संशोिि) नियमावली, 2026 द्वारा अन्िववभष्ट।3.उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोिि) नियमावली 1979

91. **निमज्जि दण्ड प्रनतपयि तथा परीणि उपकरणों की व्यवस्था आदद-** चीीी कारिािे² या **खाण्डसारीचीी ववनिमाभण इकाई** का कोई अध्यासी पररलशष्ट-1 में ववनिददभष्ट के िुसारसंग्रहणटंककयों में शीरा की गहराई िापि के ललये निमज्जि दण्ड और टंककयों की ववलर्नी गहराई पर शीरे के िमूिलेिे के ललए प्रनिपयि उपकरण और परीणि उपकरण एवंअलर्कमभकर्ी िुरक्षि करेगा और उन्हें आबकारी िथा रािस्व ववर्रागों के ककसी अधिकारी द्वारा िो रमश उप-निरीक आबकारी िथा िहसीलदार की श्रेणी से ऊपर श्रेणी का हो, मांग ककये िािे पर प्रस्िुि करेगा और उन्हें िका प्रयोग करि की अिज्ञा देगा।

103. **चीीी कारखािे या खाण्डसारीचीी ववनिमाभण इकाई** का अध्यासी पेराई के शीरा वषभ मे शकभरा (त्रितस) और चीीी की कुल मात्रा के ललए चीीी कारिािे या **खाण्डसारी चीीी ववनिमाभण इकाई** में उत्पाददि ककये गये शीरा के िमूिों का प्रनिददि परीणि प्राप्ि करेगा और िके पररणामों को प्रपत्र एम०एि० 5 में रक्िस्टर के **सुसंगत स्मि्रों** में **4प्रनतददि**अलर्ललखि करेगा और इसे आबकारी ववर्राग के अलर्दहिपोटभल पर अपलोड करेगा।

113. **संग्रहण िंकी से शीरे के िमूिों का भलया जािा तथा िका परीणि-** (1) चीीी कारिािे या िण्डसारीचीी ववनिमाभण इकाई का अध्यासी प्रनि शीरा वषभ िवम्बर से मई की अवधि में प्रत्येक माह के 1 और 16वें ददिांक को और प्रनि शीरा वषभ िूि से अतटूबर की अवधि में प्रथम, आठवें, सोलहवें और िेईसवें ददिांक को प्रत्येक संग्रहण टंकी से शीरे के लसरे, मध्य और पेंदी की परि के िमूिे प्राप्ि करेगाऔर शकभरा िथा चीीी की मात्रा के ललए िका परीणि करायेगा और िके पररणाम शीरा प्रपत्र 7 के सुसंगि स्मि्रों में अलर्ललखि करेगा। रक्िस्टर से संगि िरिण की एक सत्य प्रनिललवप नियंत्रक को उसी ददि, क्िस ददि िमूिे का परीणि कराया िाय, रेिी िायेगी। यदद चीीी कारिािे या िण्डसारीचीी ववनिमाभण इकाई में आबकारी का उप निरीक/निरीक िैिाि हो िो उसकी उपक्स्थनि में िमूिे ललये िायेंगे और िका परीणि ककया िायेगा और इसे आबकारी ववर्राग के अलर्दहि पोडभल पर अपलोड ककया िायेगा।

(2) यदद ककसी टंकी में संग्रहीि शीरे के गुण में एकाएक कोई आकक्स्मक हास हो िो चीीी कारिािे या िण्डसारीचीी ववनिमाभण इकाई का अध्यासी िुरन् ई-मेल या कोई अन्य उपाय/पोडभल पर कम्प्लेन्ट टैब द्वारासम्बक्िि प्र्रार के उप आबकारी आयुति/नियंत्रक को उसकी सूचा देगा।

अध्याय-तीि

संरिण तथा ववतरण

123. **आपूनतषतथा ववतरण-** (1)प्रत्येक चीीी कारिािे या िण्डसारीचीी ववनिमाभण इकाई का अध्यासी, ककसी चीीी के कारिािे या िण्डसारीचीी ववनिमाभण इकाई में उत्पाददि होिे वाले शीरे की मात्रा का अिमानिि प्रातकलि और ववरय अथवा आपूनिभ की िािे वाली शीरे की मात्रा का प्रातकलिववनिददभष्ट करि हुए शीरा प्रपत्र 9 में

प्रति शीरा वषभ, में 31 अगस्ति कि नियंत्रक को एक ववरण पत्र प्रसुति करेगा, कसमें अगले शीरा वषभ के दौराि ऐसी अन्य सूचा िो उति प्रपत्र के िीि अपेक्षि हो, सम्मललि होगा और इसे आबकारी ववर्ग के अलर्दहि पोटभल पर अपलोड करेगा।

(2) अनिविश्वकालीि बन्द शीरा आारर औद्योधगक इकाईयों में अप्रयुति शीरे के निस्ारण के सम्बन्ि में वनिश्चयशीरा नियंत्रक द्वारा ककया िायेगा।

135. निकाल ददया गया

146. **शीरे की बबरी या उसके सम्रण के सम्बन्ि में आदेश**-शीरे की अुमानि उपलब्ि का एक संहि ववरण-पत्र नियंत्रक द्वारा िैयार ककया िायेगा और अधिनियम की िारा 3(1) के िीि गदठि परामशभ सलमनि

1. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (सािवाँ संशोि) नियमावली 2018 द्वारा प्रनिस्थापि।

2. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (विम संशोि) नियमावली, 2026 द्वारा अन्विवभष्ट।

3. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (सािवाँ संशोि) नियमावली 2018 द्वारा प्रनिस्थापि।

4. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (विम संशोि) नियमावली, 2026 द्वारा संशोधि।

5. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (िीय संशोि) नियमावली, 1993 (नियम 2) द्वारा निकाल ददया गया। उत्तर

प्रदेश शीरा नियंत्रण (िीय संशोि) नियमावली, 1993 (नियम-3) द्वारा प्रनिस्थापि।

के समि रि िायेगा िो अधिनियम की िारा 8 के उपबन्िों के अिसार शीरे की बबरी या उसके सम्रण के सम्बन्ि में आज्ञा देगा।

151. **शीरे के संचलि का त्रैमाभसक कायषक्रम**- प्रत्येक चीीि कारििे या िाण्डसारी चीीि वनिमाभण इकाई की समय-समय पर उत्पादि मि, रेल टंकी वैगिों की उपलब्ि, पथ पररवहि की सुवि, चीीि कारििे या िाण्डसारी चीीि वनिमाभण इकाई और आसवि के रू-गृहादद में संग्रहण मि िथा अन्य संगि िथ्यों को ध्याि में रििे हुए नियंत्रक प्रत्येक चीीि कारििे या िाण्डसारी चीीि वनिमाभण इकाई से शीरे के संचलि के सम्बन्ि में एक त्रैमाभसक कायभरम िैयार कर सकि है। प्रत्येक चीीि कारििे या िाण्डसारी चीीि वनिमाभण इकाई का अध्यासी और प्रदेश ग्रहीिा शीरे के संचलि के ललये ऐसे कायभरम के अिसार आवश्यक कायभवाही करेगा।

162. प्रदेश ग्रहीता द्वारा शीरा ले जािे की व्यवस्था (िारा 8)(1) प्रदेश ग्रहीता द्वारा शीरा ले जािे की

व्यवस्था- प्रदेश ग्रहीिा यथाशतय शीघ्र प्रदेश आदेश प्राप्ि हो िािे के पश्चाि चीीि कारििे या खाण्डसारी चीीि वनिमाभण इकाई के अध्यासी को ललखि रूप में यह उपदभशषत करेगा कक शीरा रेल या सड़क द्वारा, िैसा कायभरम में उपदभशषत है, ले िाया िायेगा।

(2) िहाँ कायभरम में शीरा का पररवहि सड़क द्वारा ककया िािा संसूधचि ककया गया हो वहां प्रदेशग्रहीता िीस ददि के रीर आवंदटि मात्रा में ले िाया िािा सुनिश्चि करि के प्रयोिाथभ आवश्यक सीमा कि चीीिकारििे या खाण्डसारी चीीि वनिमाभण इकाई से शीरे को ले िािे के ललए ग्लोबल पोक्सनिंग लसस्टम (िीपीएस) एवं डडजिललॉक युति िैंक, लाररयों या पात्र (कंटेसिभ) उपलब्ि कराये िािे की व्यवस्था करेगा। समय अिसूची से ककसी प्रकार के ववचलि में प्रनिदि रू० 5,000/- का िुमाभि निदहि होगा, िो रू० 1,00,000/- से अधिक होगा, कसि की वसूली, सम्बन्ि आसवि के सहायक आबकारी आयुति अथवा सम्बन्ि क्लिे के क्लिा आबकारी अधिकारी द्वारा उसी प्रकार से की िायेगी कसि प्रकार से उिके द्वारा प्रशमि

िरालश की वसूली की िािी है। उति प्रककया से सम्बन्ि प्रपत्र आबकारी ववर्ग के अलर्दहि पोटभल पर अपलोड ककया िायेगा।

परन्तु यह कक ऐसी खाण्डसारी चीीि वनिमाभण इकाईयां जहां पर अिषठोस शीरा उत्पाददत ककया जाता हो तथा इिका संचय ववदहत संचय िमता के छेि-छेि पात्रों में ककया जाता हो, से शीरे की निकासी जी०पी०एस०

युक्त अन्य उपयुक्त वाहिं द्वारा िी ककया जािा अुिमन्य होगा।

17. **शक्कर के कारखािे के अध्यासी द्वारा रेलवे वैगिों की मांग (िारा 8)**- चीीि कारििे या िाण्डसारी चीीि वनिमाभण इकाई का अध्यासी, िब नियम 15 में निददभष्टकायभरम में अपेक्षि हो, शीरे को ऐसी रीनि से प्रेषण करि के ललए, कसिसे कक प्रदेश ग्रहीिा को शीरे का आपूनिभनियलमि और पूणभरूप से हो सके, रेलवे के प्राधिकाररयों से वैगिों के ललये मांग प्रसुति करेगा। रेलवे वैगिों के ललये प्रसुति की गयी उति मांग सम्बन्िी एक पाक्षिक ववरणी शीरा प्रपत्र 3 में नियंत्रक को प्रसुति की िायगी, और िहां चीीि कारििे या िाण्डसारी चीीि वनिमाभण इकाई में आबकारीका उप-निरीकि/निरीकि िैिाि हो वहां उसकी एक प्रनिलवपउप निरीकि/निरीकि को दी िायेगी।

18. **सड़क पररवहि की दशा में िराई का समय (िारा 22)**-(1) पथ पररवहि की दशा में रई का समय 6 बि पूवाभन्ह से 10 बि अपराह् कि होगा और रेलवे वैगिों की दशा में समय वही होगा िो रेलवे के प्राधिकाररयों द्वारा निश्चि ककया िाया।

(2) **शीरा िरे रेलवे वैगिों का कर्षण तथा िरा जािा-चीीिके** ककसी कारििे या खाण्डसारी चीीि वनिमाभण इकाई का अध्यासी ककसी रेलवे वैगिों के कषभण और ऐसे वैगिों को रें िािे अथवा टैक, लाररयों या अन्य पात्रों

के रैं िांि से ि िो इन्कार करेगा और ि उसमें ववलम्ब करेगा। यदद चीिी कारिािे या खाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई का अध्यासी त्रिबा पयाभपि कारण के कषभण िथा रैं िांि की ित्काल व्यवस्था ि करे िो उस

1. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (पंचम संशोि) नियमावली 2009 द्वारा प्रनिस्थावपि (नियम-3)। 2. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (सांिवां संशोि) नियमावली अधिनियम 2018 द्वारा प्रनिस्थावपि। 3. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (िवम संशोि) नियमावली, 2026 द्वारा अन्िववभष्ट।

क्िले के क्िसमें चीिी कारिािे या खाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई विस्थ हो, कलेतटर को या नियंत्रक द्वारा इस प्रयोि के ललये प्राधिकृि ककसी अन्य व्यक्ति को चीिी कारिािे या खाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई के रू-गृहादद में प्रवेश करि, कषभण और शीरे के रैं िांि की व्यवस्था करि और उसके व्यय को चीिी कारिािे या खाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई के अध्यासी से चीिी कारिािे या खाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई को देय शीरे के मूल्य में से वसूल करि का अधिकार होगा।

19. शीरे के िरे जािे के भलए शप्वत चाभलत पम्पों उप साििों तथा सी०सी०टी०वी० कैमरे की व्यवस्था - शीरे के रैं िांि के प्रयोि के ललए चीिी कारिािे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई का अध्यासी पयाभपि िमि के शक्ति चाललि पम्पों और अन्य उप साििों िथा आई०पी० एड्रेस सदहि सी०सी०टी०वी० कैमरा अच्छी चालू दशा में अिरक्षि रिगा और चीिीकारिािे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई में सी०सी०टी०वी० कैमरे एवं ए०ए०पी०आर० कैमरेको ऐसे स्थाि पर और इस प्रकार स्थावपि ककया िायेगा क्िससे कच्चा माल, शीरा और अन्य उत्पाद ले िांिे वाले समस्ि याि (टैंकर / लॉरी) िकी संख्या सदहि चीिी कारिािे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई में प्रवेश करि समय और उसे छोड़ि समय कैमरे में अलर्ललखि ककये िा सके। डडक्िटल अलर्लेिरी अिरक्षि ककया िाएगा तथासंचाभलत कैमरों को आबकारी आयुक्तकायाषलय के इन्िीग्रेिड कमाण्ड एण्ड कत्रोल सेन्ि (आई.सी.सी.सी.)से एकीकृतकराया जायेगा।

शीरे की सुरिा एवं दुरूपयोग को रोकि की दृष्ि से ए०ए०पी०आर० कैमरा तथाशीरा नियंत्रक द्वारा ववनिददष्ि गुणवत्ता व प्रकार के अन्य इलेक्रानिक उपकरणों एवं साफ्िवेयर की व्यवस्था चीिी कारिािे या खाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई के अध्याभसयों द्वारा ककया जािा आवश्यक होगा।

20. िेजे गये शीरे का स्वाभमत्व-(1) ककसी आसवि को रेलवे टैंक, वैगिों में रेिे गये शीरे का स्वाभमत्व, सम्बि चीिी कारिािे या िाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई के अध्यासी में िब िक निदहि रहेगा िब िक कक वह वास्िव में आसवि को ि लमल िाय और आसवि की ओर से िािबूझ कर की गयी ककसी चूक के अनिररति अन्य कारण से होिे वाली समस्ि हानि चीिी कारिािे या िाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई द्वारावहि की िायगी। सड़क द्वारा ले िाये िांिे वाले शीरे का स्वाभमत्व ज्यों ही शीरा-प्रपत्र 4 में निष्कासि पत्र के साथ चीिीकारिािे या िाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई के रू-गृहादद के बाहर ले िाया िाय, प्रदेशि ग्रहीिा को प्राप्ि हो िायेगा और प्रदेशि ग्रहीिा गंिव्य स्थाि िक सुरक्षि रूप से पहुंचि और मागभ में होिे वाली हानि के ललये, यदद कोई हो, उत्तरदायी होगा। चीिी कारिािे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई के अध्यासी को यह सुनिश्चि करिा होगा कक चीिी कारिािे या िाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई से शीरे का पररवहि ग्लोबल पोक्िशनिंग लसस्टम (िी.पी.एस) एवं डडक्िटल लॉक युति टैंकरों अथवा अन्य उपयुति वाहिों द्वारा ककया िायेगा और प्रदेशि ग्रहीिा को िदिुसार प्रमाखणि करिा होगा।

(2) प्रदेशि ग्रहीिा, क्िसे औद्योद्विक ववकास के ललए शीरे की आवश्यकिा हो, शीरे के पररवहि के ललये स्वयं व्यवस्था करेगा और शीरे के गंिव्य स्थाि िक सुरक्षि रूप से पहुंचािे िथा मागभ में होिे वाली हानि, यदद कोई हो, के ललए उत्तरदायी होगा। ऐसे प्रदेशि ग्रहीिा से अग्रि यह री अपेक्षि होगा कक वह नियंत्रक द्वारा इस निलमत्त प्राधिकृि ककसी अधिकारी से गंिव्य स्थाि पर परेषण का सत्यापि कराये।

(3) सम्पूणभ शीरे की मात्रा का पररवहि, एक परेषण में ककया िायेगा और अलर्वहि टुकड़ों में िहीं ककया िायेगा िथा ई-राक्न्िट परलमट में ववनिददभष्ट मागभ से परेषण के संचालि का ववचलि िहीं ककया िायेगा क्िसके उल्लंघि पर आसवि/यवासवि या शीरा आारि अन्य इकाईयों के लाइसेंसिारी पर सरकार द्वारा यथा निाभरि शाक्स्ि लगायी िा सकी है यदद कोई चीिी कारिािे या खाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई एक ववधिमान्य परलमट पर एक बार से अधिक परेषण का अलर्वहि करि के ललए ई-राक्न्िट परलमट का िोिािडीपूणभ एवं कपटपूणभ प्रयोग करि में ललपि पायी िािी है िो चीिी कारिािे या खाण्डसारीचीिी

1. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (सांिवां संशोि) नियमावली 2018 द्वारा नियम 19 प्रक्स्थावपि। 2. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (िवम संशोि) नियमावली, 2026 द्वारा अन्िववभष्ट।

3. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (सांिवां संशोि) नियमावली 2018 द्वारा नियम 20 प्रक्स्थावपि

ववनिमाषणकताष इकाई का प्ररारी अधिकारी अिशासनिक नियमावली के अीि दण्ड का र्ागी होगा, साथ ही अध्यासी रू० दो लाख पचास हजार की शाप्स्त का उत्तरदायी होगा िथा पुिरावृत्त ककये िांिे पर अध्यासी का लाइसेंस निरस्ि कर ददया िायेगा।

21. ि प्रयोजिों प्जिके भलए शीरा प्रददष्ि ककया गया हो, से भिन्ि प्रयोजिों के भलए समस्त शीरे के संक्रमण तथा

प्रयोग पर निर्देश (धारा 8 तथा 22)-(1) नियंत्रक की पूर्वभूमि शीरा के त्रिभुज ककसी प्रदेश ग्रीष्म ऋतु को समुचित कोई शीरा ककसी अन्य व्यक्ति को **विवक्षित अथवा पररदा** नहीं ककया ियेगा।

(2) नियंत्रक की पूर्वभूमि शीरा के त्रिभुज ककसी प्रदेश ग्रीष्म ऋतु को प्रददष्ट शीरा का प्रयोग उस प्रयोग, कसके ललये वह प्रददष्ट ककया गया हो, **सेलन** प्रयोग के ललये नहीं ककया ियेगा।

22. आसवनियों और औद्योगिक विकास के ललये अन्य व्यक्तियों को शीरे की बबक्री या आपूनतष-(1) ककसी चीी कारि ि या िण्डसारी चीी वनिमाषण इकाई में उत्पादित शीरे की त्रिभुज या आपूनित आबकारी ववर्ग के अलदहि ऑल्लाई पोटभल के माध्यम से केवल आसवनियों या औद्योगिक विकास के प्रयोग िथ इसकी वास्विक रूप से अपे ि रिे वाले अन्य व्यक्तियों को ककया ियेगा।

(2) ककसी औद्योगिक विकास के ललये अपि आसवि **अथवा ककसी शीरा आररत इकाई** हेतु शीरे की अपे ि करि वाले ककसी व्यक्ति को अपि इकाई की िीएसटी संख्या सदहि शीरा हेतु अपेक्षि प्रयोग को वनिददभष्ट करि हुये आबकारी ववर्ग के अलदहि पोटभल के माध्यम से नियंत्रक को ऑल्लाई आवेदि करि होगा।

23. वनियामक फीस- राज्य सरकार, समय-समय पर अधिसूचत की जाे वाली दरों पर, चीी कारखाे या खाण्डसारी चीी वनिमाषण इकाई से संग्रहीत अथवा निमुषक्त शीरे के परररिण, आपूनतष अथवा ववतरण के पयषवेिण और नियंत्रण में उपगत लागत व व्यय की पूनतष हेतु चीी कारखाे या खाण्डसारी चीी वनिमाषण इकाई के अध्यासी से शीरे के ककसी चीी बबक्री या आपूनतष पर वनियामक फीस वसूल कर सकेगी।

प्रत्येक चीी कारखाे या खाण्डसारी चीी वनिमाषण इकाई का अध्यासी अपि द्वारा ववक्रीत या आपूनतष ककये गये शीरे पर संदेय वनियामक फीस की िराभश, उस प्जले, प्जसमें चीी कारखाे या खाण्डसारी चीी वनिमाषण इकाई प्थत है, के कोर्गार या उप कोर्गार में ई-चाला के माध्यम से जमा करेगा और क्रेता या प्रदेश ग्रीष्म ऋतु को शीरे का वास्विक पररदा ककये जाे से पूर्व चीी कारखाे या खाण्डसारी चीी वनिमाषण इकाई के प्रिरी आबकारी अधिकारी को ऐसे संदाय के साक्ष्य के रूप में ई-चाला का वप्रन आडि प्रस्तुत करेगा।

24. शीरे के पररवहि पर निर्देश-(1) कोई री व्यक्ति िब िक नियंत्रक से ललखि भुमनि प्राप्ि िहीं कर लेो िब िक उत्तर प्रदेश के बाहर ककसी शीरे का िो पररवहि करेगा और ि करायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों को शीरा पररवहि करि की भुमि हेतु नियंत्रक कायाभलय में प्राप्ि आवेदों पर वनिवक्षय गदधि सलमनि करेगी कसमें निम्िललखि सदस्य होंगे:-

1. शीरा नियंत्रक सह आबकारी आयुति-अधि
2. अपर आबकारी आयुति (प्रशासि)-सदस्य
3. राज्य सरकार द्वारा िमनिददभष्ट एक सदस्य-सदस्य
4. गन्ा ववर्ग द्वारा िमनिददभष्ट एक सदस्य-सदस्य
5. संयुति आबकारी आयुति (ईआईबी)- सदस्य
6. उप आबकारी आयुति (उत्पादि)-सधचव सह संयोजिक

सलमनि राज्य में शीरे की आवश्यकि पर ववचार करि के पश्चाि राज्य में शीरे की सामान्य उपलब्ि के आार पर वनिवक्षय करेगी। उपरोति निर्ाभररि शिों को पूरा करि के पश्चाि शीरा उत्पादि करि वाली

1. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (िवम संशोि) नियमावली, 2026 द्वारा संशोधि। 2. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (सािं संशोि) नियमावली 2018 द्वारा प्रस्थावपि। 3. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (िवम संशोि) नियमावली, 2026 द्वारा अन्विवभष्ट। 4. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (सािं संशोि) नियमावली 2018 द्वारा प्रस्थावपि

इकाईयों को ही नियाभि की भुमनि प्रदाि की ियेगी। प्रदेश ग्रीष्म ऋतु द्वारा व्यापार/नियाभि भुमन्य िहीं होगा। प्रदेश ग्रीष्म ऋतु को उपयुभति आशय का शपथ पत्र प्रसुि करि होगा।

25. शीरे को चीी कारखाे या खाण्डसारी चीी वनिमाषण इकाई से हिा-

(1) कोई री शीरा ककसी चीी कारखाे या खाण्डसारी चीी वनिमाषण इकाई के रू-गृहादद से िब िक िहीं हटाया ियेगा, िब िक कक उसका वि या माप ि ककया गया हो, और शीरा प्रपत्र 4 में निष्कासि-पत्र िरी ि ककया गया हो। यह निष्कासि-पत्र चीी कारि ि या खाण्डसारी चीी वनिमाषण इकाई के अध्यासी या नियंत्रक द्वारा इस

निलमत प्राधिकृि ककसी अधिकारी द्वारा पाँच प्रनियों में िरी ककया ियेगा। निष्कासि-पत्र की

एक प्रनि चीी कारि ि या खाण्डसारी चीी वनिमाषण इकाई के अध्यासी के पास रहेगी एक प्रनि चीी कारि ि या खाण्डसारी चीी वनिमाषण इकाई के रू-गृहादद से शीरा हटाये िे के पूर्व चीी कारि ि या खाण्डसारी चीी वनिमाषण इकाई में िेि आबकारी उपनिरीिक/निरीिक को दी ियेगी, एक प्रनि नियंत्रक को रेि ियेगी और एक प्रनि उस सककभल के, कसमें चीी कारि ि या खाण्डसारी चीी वनिमाषण इकाई विक्ष हो, आबकारी निरीिक को रेि ियेगी।

(2) **परेर्ण की रसीद का सत्यापि-** परेषण की प्राप्ति पर परेवर्षी प्राप्ति मात्रा का सत्यापि करेगा और निष्कासि पत्र की दूसरी ओर उन्हें ललिंगा और उसे सम्बिचीनी कारिणि या खाण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई के अध्यासी को वापस कर देगा। परेवर्षी इस बां की पयाभप्ति साविनी बरिगा कक अलर्वहि में छीणि या कमी 2 की प्रमात्रा 0.5 प्रनिशि से अधिक हो। यदद छीणि या कमी 0.5 प्रनिशि से अधिक हो तो परेवर्षी नियम के उल्लंघि के ललए अधिनियम के अीणि आरोवपि शाक्स्ति का र्गागी होगा:

परन्तु यह कक यदद नियंत्रक के सन्निषािुसार यह सात्रबि कर ददया िाय कक ववदहि सीमा से अधिक छीणि या कमी की प्रमात्रा दुघभटि या ककसी अन्य अपररहायभ कारण से हुई है तो परेवर्षी शाक्स्ति का र्गागी ि होगा।

(3) **सत्यापि के भलए प्राधिकृत अधिकारी-** उत्तर प्रदेश में आसवनिओं में प्रयोग के ललये रेिे िािे वाले परेषण को सम्बि आसवि के प्र्ारी आबकारी निरीिक या नियंत्रक द्वारा इस द्विद्वित्तप्राधिकृि ककसी अन्य व्यक्ति द्वारा आसवक या उिके प्रनिनिधियों के सामि सत्यावपि ककया िायेगा और पररणाम निष्कासि पत्र के दूसरी ओर ललि िायेगा। **अध्याय-चार**

िमूिे का ववश्लेर्ण तथा परीिा

263. **आसवि में शीरे की प्राप्त-** कोई आसवि, कसिके पि में िारा 8 के अीणि शीरा प्रववष्ट ककया गया हो. ऐसे ककसी आदेश के अिसरण में आसवि में प्राप्ति शीरे के ककसी परेषण के ककसी र्गाग को, आसवि के प्र्ारी अधिकारी अथवा नियंत्रक द्वारा इस निलमत्त प्राधिकृि ककसी अन्य अधिकारी की पूवभ ललखिि अिज्ञा के त्रबि ि

जिरेगी या ि उपयोग करेगी। आसवि र्ी चीनी कारििा या िाण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाईसे प्राप्ति शीरा रसीद का एक लेिा शीरा प्रपत्र-11 में अिरक्षिि करेगी और उसकी एक सत्य प्रनिललवप नियंत्रक को प्रत्येक आगामी मास के 5वें ददिांक िक प्रसिुि करेगी िथा इसे आबकारी ववर्ाग के अलर्दहि पोटभल पर अपलोड करेगी।

27. **आसवि में प्राप्त शीरे का सत्यापि तथा परीिण-** प्र्ारी अधिकारी या नियम 26 के अीणि प्राधिकृि कोई अन्य अधिकारी प्रत्येक परेषण की प्राप्ति पर िुरन्ि आसवि की प्रयोगशाला की सहायिा से शीरे की मात्रा और गुण को अविवररि करेगा और अपि द्वारा ककये गये सत्यापि और परीिण के पररणाम को प्रपत्र संख्या 4 में

उस निष्कासि पत्र की दूसरी ओर, िो उसे परेषण के साथ चीनी कारििे या िाण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई के अध्यासी से दो प्रनियों में प्राप्ति हो, ललिगा। निष्कासि पत्र की एक प्रनिललवप आसवि में रि ली िायगी और उसकी दूसरी प्रनिललवप प्र्ारी अधिकारी द्वारा चीनी कारििे या िाण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाईके

1. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (पाचवां संशोिि) नियमावली 2009 द्वारा प्रक्स्थावपि

2. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (विम संशोिि) नियमावली, 2026 द्वारा संशोधि।

3. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (साविां संशोिि) नियमावली 2018 द्वारा नियम 26 प्रक्स्थावपि

अध्यासी को रेिे दी िायेगी कसिके कक वह पश्चाििि को परेषण के आसवि अथवा अन्य इकाईयों के िाटक पर पहुँचि के एक सपिाह के र्ीरि लमल िाय।

28. **आसवनिओं पर नियम 8 का लागू होिा (िारा 22)-** नियम 8 के उपबन्ि सर्ी आसवनिओं पर आवश्यक पररविभि के साथ लागू होंगे।

291. **शीरे का िमूिा लेिे की रीनत तथा शीरे की श्रेणी के सम्बन्ि में वववाद तय करि की प्रकक्रया--**

(1) िब कर्ी इस निलमत्त नियंत्रक द्वारा प्राधिकृि ककसी अधिकारी द्वारा िमूिे ललये िाय िो वह िमूिे को दो प्रनियों में कसिके वह अपि मुहर से मुहरबन्द करेगा, चीनी कारििे या िाण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई के अध्यासी के पास या सम्बन्िि आसवि के लाइसेन्सारी के पास छोड़ देगा और वह िब िक उसकी निरापद अलरि के ललये उत्तरदायी होंगे िब िक कक उति अधिकारी द्वारा उसे िष्ट करि की आज्ञा ि दे दी िाय।

(2) शीरे की श्रेणी के सम्बन्ि में ककसी वववाद के होिे की दशा में मामले को नियंत्रक द्वारा इस निलमत्त प्राधिकृि अधिकारी को उपनियम (3) में दी गई प्रकरया के अिसार निददभष्ट ककया िायेगा और मूल्य का रुगिाि उति प्राधिकृि अधिकारी की आख्या पर नियंत्रक द्वारा घोवषि श्रेणी के अिसार ककया िायेगा।

(3) यदद सम्बन्िि चीनी कारििे या िाण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई के अध्यासी या आसवि के लाइसेन्सारी को आबकारी निरीिक के निष्कषभ पर आपवत्त हो िो वह ऐसे परीिण के ददिांक से चौदह ददि के र्ीरि, ललखिि रूप में, आबकारी निरीिक से यह अपेिा कर सकिा है कक वह शीरे का एक िमूिा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृि अधिकारी को रेिे दे। प्रनिबन्ि यह है कक यथाक्स्थनि, चीनी कारििे या िाण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई का अध्यासी या आसवि का लाइसेन्सारी िमूिे के रेिेिे और उसके परीिण में उपगि वय्य का वहि करेगा।

(4) सड़क द्वारा पररवहि ककये िािे की दशा में यदद चीनी कारििे या िाण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई से शीरा

प्राप्ति करि वाले प्रदेश ग्रहीका का चीनी कारिणि या िण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई द्वारा घोषि श्रेणी के सम्बन्धि में समािणि ि हो िो वह उस िेत्र के, िहां पर चीनी कारिणि या िण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई किस्थ हो उप निरीकि आबकारी या िेत्रीयआबकारी निरीकि, को परीणि शुल्क के साथ ललखि रूप में आवेदि कर सकि है कक उस संग्रहण टंकी के शीरे को कसिसे चीनी कारिणि या िण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई द्वारा शीरा सम्ररि ककया गया था लारी में लदे शीरे का शतकर की ठीक-ठीक अन्विभस्िु की घोषणा

करि के ललये उपनियम (3) के िीणि प्राधिकृि अधिकारी द्वारा परीणि कराये। मूल्य ऐसे प्राधिकृि अधिकारी

द्वारा घोषि श्रेणी के िुसार होगा। यदद निम्ि श्रेणी की घोषणा की िाय िो चीनी कारिणि या िण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई प्रदेश ग्रहीका को वसूल की गई अनिररति ििरालश ऐसे प्राधिकृि अधिकारी के परीणि शुल्क के साथ वापस करि के ललए बाध्य होगा। उपनियम (1) से (3) के उपबन्ि, यथाक्स्थनि, निवासी उप निरीकि द्वारा िमूि लेि के सम्बन्धि में री लागू होंगे।

(5) नियंत्रक या उसके द्वारा िदथभ प्राधिकृि ककसी अधिकारी के पूवाभिमोदि के त्रिा नियंत्रक की आज्ञाओं के

अन्िगभि चीनी कारिणि या िण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई के अध्यासी द्वारा सम्ररि शीरा िारि से कोई री आसवि इन्कार िहीं करेगी।

परन्ियुह कक यदद आबकारी निरीकि आसवकों द्वारा परीणि करि पर िसे सहमि हो कक ककसी चीनी

कारिणि या िण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई द्वारा सम्ररि शीरा ऐसी श्रेणी का है, िो आसवि के प्रयोग के ललये इस कारण िुपयुति है कक उसमें कुल शतकर के 40 प्रनिशि के ररङ्गूलसंग शतकर है (कसिसे कम शतकर अलर्व्यति ककया गया है) िो आसवि ऐसे शीरे को िारि से इन्कार कर सकि है और उस शीरे को चीनी कारिणि या िण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई के व्यय पर लौटा देगा। यदद उप नियम (3) के िीणि नियंत्रक द्वारा प्राधिकृि अधिकारी द्वारा ऐसे शीरे के पश्चाििवि ववश्लेषण पर शीरे को आसवि के प्रयोििों के ललये

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (िृीय संशोि) नियमावली 1993 िथा उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (चिथभ संशोि) नियमावली 1996 द्वारा प्रनिस्थापि।

उपयुति घोषि ककया िािा है िो आसवि ऐसे व्ययों और प्रनिकर करयदद कोई हो. िो नियंत्रक द्वारा या

उसके द्वारा इस सम्बन्धि में प्राधिकृि ऐसे अधिकारी द्वारा निाभररि ककया गया हो, रूगिाि करि के ललये दायी होगा।"

30. शीरे के ववश्लेर्ण की ववधि (िारा 22)- नियम 10 िथा 11 में अलर्ददभष्ट सर्ी परीणि एवं नियम 29 में अलर्ददभष्ट सर्ी ववश्लेषण लेि और आयिाि के आयिलिमनि ववधि के िुसार ककया िायेगा।

31. आसवनियों द्वारा शीरे के मूल्य का िुगताि आसवनियों द्वारा शीरे के मूल्य का रूगिाि (1) चीनी कारिणि

या िण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई के अध्यासी को आसवि द्वारा शीरे के मूल्य के रूगिाि की दर, शीरे की निम्िललखि श्रेणी पर आाररि होगी-

(क) िब शीरे का पररवहि रेल द्वारा ककया िाय िब श्रेणी वही होगी िैसा कक नियम 29(3) के िीणि आसवि पर अविररि की िाय।

(ि) िब शीरे का पररवहि सड़क द्वारा ककया िाय िब श्रेणी वही होगी िैसा कक चीनी कारिणि या िण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई के अध्यासी द्वारा अविररि ककया िाय और शीरा प्रपत्र-4 में निष्कासि पत्र में अलर्ललखि ककया िाय।

(2) आसवि, शीरे का पररदाि लेि पर िुरन्ि चीनी कारिणि या िण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई के अध्यासी को मूल्य और शीरे पर अन्य उदग्रहणों का रूगिाि अधिमाििः ई-पेमेन्ट के माध्यम से करेगा। यदद चीनी कारिणि या िण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई आसवि द्वारा शीरे के मूल्य का रूगिाि के पश्चािि उसके पररदाि में ववलम्ब करि है या अन्य बािायें उत्पन्ि करि है, िो चीनी कारिणि या िण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई का अध्यासी नियमों के उल्लंघि के ललए दाकण्डक कायभवाही का र्गागी होगा।

अध्याय-पांच

लेखा

32. चीनी कारखाि या खाण्डसारी चीनी वनिमाभण इकाई के अध्यासी द्वारा िुरक्षित ककये जािे वाले

रज्जसूरि तथा प्रस्तुत ककये जाँले वाले वववरण-पत्र- प्रत्येक चींी कारिाँले या िाण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाई का अध्यासी उत्पाददि, संग्रहीं, निगभि, ववरीं या अपलशष्ट शीरे का ठीक-ठीक दैनिक लेँा शीरा प्रपत्र-5 के रक्िस्टर में भिरक्षि रिगा और चालू मौसम के शीरे िथा वपछले मौसम के शीरे के सम्बन्ि में रमश शीरा प्रपत्र 1 िथा शीरा प्रपत्र-2 में पाक्षिक िथा मालसक वववरण पत्र प्रस्िुि करेगा। चींी कारिाँले या िाण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाई का अध्यासी प्रत्येक मास के 15वें िथा अक्िम कायभ ददवस को शीरा प्रपत्र 5 के सर्ी स्िम्रों का पाक्षिक योग निकालेगा और उिका उद्िरण नियंत्रक को ववदहि प्रपत्र शीरा प्रपत्र-1 और प्रपत्र-2 में प्रत्येक मास के प्रथम और सोलहवें ददिंक को प्रस्िुि ककया िायेगा। इसे आबकारी ववर्ाग के अलर्दहि पोटभल पर र्ी अपलोड ककया िायेगा।

333. असोत्रावाह लाइसेन्सिररयों तथा अन्य प्रदेशि ग्रहीताओं के भलए आसवनियों द्वारा भिरक्षित ककये जाँले वाले रज्जसूरि तथा प्रस्तुत ककये जाँले वाले वववरण-पत्र-

(1) **शीरा प्राप्तकताष प्राप्त**, आसवि के ललये **उपयोज्जत िथा अनतशेर** शीरे का अलर्लेँ इस नियमावली से यथा संलग्ि शीरा प्रपत्र-6 के र्ाग-1 और 2 में भिरक्षि रिगे िथा प्रत्येक मास में आसवि में प्राक्पि उपर्ोग और शेष शीरे की एक शुद्ि मालसक सारांश प्रत्येक आगामी मास के पांचवें ददिंक को शीरा प्रपत्र 10 में नियंत्रक को प्रस्िुि करेंगे। उसे र्ी आबकारी ववर्ाग के अलर्दहि पोटभल पर अपलोड ककया िायेगा।

(2) आसवनियों (असोत्रावाह के अनिररति) से लर्नि प्रदेशि ग्रहींाओं की दशा में शीरे का लेँा, शीरा प्रपत्र-6 के र्ाग 3 के रक्िस्टर में िैसा कक संलग्ि पत्र में ददया गया है, रि आयेगा और प्रदेशि ग्रहींा एक शु्िमालसक सारांश उस आबकारी निरीिक को, क्िसकी सककभल में औद्योद्विक इकाई हो, प्रस्िुि करेगा।

1.उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (साँवाँ संशोँि) नियमावली, 2018 द्वारा प्रनिस्थावपि।2.उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (साँवाँ संशोँि) नियमावली, 2018 द्वारा प्रनिस्थावपि।3.उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (साँवाँ संशोँि) नियमावली, 2018 द्वारा प्रनिस्थावपि।

(3) असोत्रावाह लाइसेन्सारी शीरे का लेँा शीरा प्रपत्र-6 के र्ाग 3 में, िैसा कक संलग्ि प्रपत्र में ददया गया है, भिरक्षि करेंगे और उसका एक मालसक सारांश उस आबकारी निरीिक को, क्िसकी सककभल में दुकाि हो, प्रस्िुि करेंगे।

अध्याय-छः

ववववि

34. रज्जसूरि तथा अभिलेखों के रखि की रीनत एवं उिके निरीँण के भलए अधिकृत अधिकारी-

प्रत्येक चींी कारिाँले या िाण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाई का अध्यासी ऐसे रक्िस्टरों, अलर्लेँों िथा लेँा को ऐसी रीनि से और ऐसी अवधि के ललए रिगा िैसा कक इस नियमावली के पररलशष्ट-2 में ददया गया है।

िहसीलदार के पद के और उससे उच्च श्रेणी के सर्ी राँस्वि अधिकाररयों और उप निरीिक, आबकारी के पद के और उससे उच्च श्रेणी के आबकारी ववर्ाग के सर्ी अधिकाररयों को चींी कारिाँलों या िाण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाईयों की और शीरे के सर्ी अन्य प्रदेशि ग्रहींाओं की, िो उिके िेत्राधिकार के र्ीरि हों, शीरा संग्रहण टंककया और उिके लेँों का निरीँण करि का अधिकार होगा। 35. निरीँण अधिकाररयों के ललये निरीँण पुक्िका (िारा 22) शतकर के कारिाँले के सर्ी अध्यासी और अन्य सर्ी प्रदेशि ग्रहींा निरीँण अधिकाररयों के ललए शीरा प्रपत्र-12 में एक निरीँण पुक्िका रिँ के ललए बाध्य होंगे क्िससे कक वे उसमें अपि निरीँण दटप्पणी ललि सकें। शतकर के कारिाँले के अध्यासी, पूवभवि नियम के िीँ अधिकृि ककसी अधिकारी द्वारा अलर्ललखि प्रत्येक निरीँण दटप्पणी की एक प्रनिललवप सीँे नियंत्रक को और एक प्रनिललवप उस प्रर्ाग के, क्िसमें कारिाँा क्स्थि हो, उप आबकारी आयुति या सहायक आबकारी आयुति को प्रस्िुि करि के ललए बाध्य होगा।

361. अलर्ग्रहीं शीरे का िमूँा लेँा, उसकी निगराँी की व्यवस्था करि िथा अलर्ग्रहीं वस्िुओं को पुललस की अलर्ि में देँा -

(1) अधिनियम या इस नियमावली के िीँ अलर्ग्रहण करि वाला अधिकारी अलर्ग्रहीं शीरे के दो िमूँे लेगा और ललये गये िमूँों को िुरन्ि मुहरबन्द कर देगा। उस व्यक्ति को र्ी, क्िसके कब्े से अलर्ग्रहीं वस्िुएं पाई गई हो, उति िमूँों पर अपि मुहर लगाँे की, यदद वह चाहे, भुमनि दें दी िायेगी। एक िमूँा उस व्यक्ति को ददया िायेगा और दूसरा िमूँा अलर्ग्रहण करि वाले व्यक्ति द्वारा रि ललया िायेगा।

यदद वह व्यक्ति ददये िाँले वाले िमूँे को लेँे से इन्कार करे अथवा उसकी प्राक्पि स्वीकार ि करे िो अलर्ग्रहण करि वाला व्यक्ति उसी स्थाि पर इस आशय का एक ज्ञाप-पत्र दो प्रनियों में िैयार करेगा और दोँों अलर्ग्रहीं िमूँे अपि पास रि लेगा। ज्ञाप-पत्र की एक प्रनिललवप नियंत्रक को सूँा के ललये र्ेँी िाएगी।

(2) अलर्ग्रहण करि वाला अधिकारी उप नियम (1) के िीँ अलर्ग्रहीं स्टाक की निगराँी के ललए ककसी को िैँाँि कर सका है।

(3) पुललस थाँे का प्रर्ारी अधिकारी अधिनियम या इस नियमावली अथवा िद्िीँि ककसी आज्ञा के अन्गिभि अलर्ग्रहीं सर्ी वस्िुओं को, मक्िसेट या नियंत्रक की आज्ञा होँे िक, िो उसे दी िाय, अपि अधिकार में लेगा और िब िक सुरक्षि अलर्ि में रिगा िब िक कक िेत्राधिकारयुति मक्िसेट द्वारा अक्िम रूप से अलर्ि के ललए निदेश ि

दे ददये िाये।

(4) यदद अधिनियम या इस नियमावली या िदिी ककसी आज्ञा के अन्गिभि अलर्गहीि कोई वस्िु आसवि से पुललस थािे को ि ले िाई िा सके िो अलर्गहण करि वाला अधिकारी वस्िुओं की सुरक्षि अलर्गि के ललए कोई अन्य व्यवस्था कर सकि है और इस प्रयोि के ललए पुललस, आबकारी या रास्वि ववर्ग या ककसी िगरपाललका या पंचायि के ककसी अधिकारी या ककसी गांव के चौकीदार की सहायि ले सकि है और ऐसा अधिकारी या गांव का चौकीदार उस दशा में अपेक्षि सीमा िक सर्ी सम्रव सहायि देिे के ललए बाध्य होग।

1. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (िृीय संशोि) नियमावली 1993 (नियम-3 द्वारा िथा िदिन्ि उ. प्र. शीरा नियंत्रण (चिुथभ संशोि) नियमावली 1996 द्वारा संशोि।

(5) अधिनियम या इस नियमावली के िीि अलर्गहीि शीरे का िमूिा, शतकर की मात्रा या अन्य ववलशक्षयों को सुनिक्शि करि के ललए मक्िसेट की आज्ञा द्वारा नियम 29 के के उपनियम (3) के िीि प्राधिकृि अधिकारी को र्ेिा िा सकि है।"

अध्याय-सात

जब् ककये गये शीरे तथा वस्तुओं को निस्तारण

37. जब् ककये गये शीरे तथा वस्तुओं का निस्तारण (िारा 11 (2) तथा 22)-अधिनियम या िदिी बिाये गए नियमों के अन्गिभि िब् ककए गए शीरे या वस्िुओं अथवा दोिों का निस्ारण िब िक स्थधगि रहेगा िब िक कक िब्िी की आज्ञा के ववरूद्ि अपील की अवधि समाप्ि ि हो िाय अथवा यदद ऐसी आज्ञा के ववरूद्ि कोई अपील की गई हो िो िब िक कक अपील का निस्ारण ि हो िाय।

38. जब् ककये गये शीरे के निस्तारण की रीनत िारा 11 (2) तथा 22

(1) अधिनियम की िारा 11 की उपिारा (2) के िीि िब् ककया गया सर्ी शीरा या ऐसा शीरा, िो अधिनियम के िीि िब् ककये िािे योग्य हो ककन्िु क्िसे िारा 16 के िीि अलर्युति के पि में नियन्तक द्वारा छोड़ा ि गया हो या िारा 16 के िीि नियन्तक, अलर्युति द्वारा रुगिाि ककये िािे पर छोड़ि का प्रस्ाव करे ककन्िु क्िसे अलर्युति द्वारा स्वीकार ि ककया िाय, उपनियम (2) के िुसार रीनि से निस्ाररि ककया िायेगा:

(2) िब् ककया गया ऐसा सर्ी शीरा क्िसका विि एक सौ ककंवटल या उससे कम हो, कलेतटर की आज्ञा से सावभिनिक िीलाम द्वारा बेचा िायेगा। यदद िब् ककया गया शीरा उपयुभति विि से अधिक हो िो कलेतटर नियन्तक को इस संबंि में ललिंगा और शीरे का निस्ारण ऐसी रीनि से उसकी आज्ञा के िीि ककया िायेगा क्िससे कक उसका उपयोग सवोत्तम लार् के ललये ककया िा सके, यदद उसे प्रदेशि संग्रहीिा को प्रददष्ट करि उपयुभति हो िो उसे प्रददष्ट कर ददया िायेगा, अन्यथा िीलाम करके उसे बेच ददया ियेगा।

39. नियंत्रक, अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासि) उत्तर प्रदेश और इस श्रेणी से उच्च अधिकाररयों द्वारा प्राप्त ििराभश जमा करि का लेखा शीर्षक-

(1) िारा 16 के िीि नियंत्रक द्वारा प्राप्ि कोई ििरालश सरकार के शीषभक 46 ववववि-ववववि-शीरा अथभदण्ड के िीि िमा की िायेगी।

(2) शीरे से सम्बप्रित मामलों का त्वरत निस्तारण और न्यायालयीय मामलों की संख्या कम ककये जािे केभलए-समाि मामलों में शाक्स्ि को अधिरोवपि करि में एक रूपि सुनिक्शि करि हेिु न्यूििमि प्रशमि शुल्क या प्रशमि योग्य अनियलमििा शुल्क में निम्िािुसार अधिरोवपि ककये िायेगे:-

क्र.सं.	अनियभतता का प्रकार	प्रथम बार के भलए (रू.में)	द्वतीय बार के भलए (रू.में)	तृतीय बार के भलए (रू. में)
1	2	3	4	5
1	शीरा का अलर्विह सम्बन्िी छीिि 0.5 प्रनिशि से अधिक होिे पर (िहाँ दुधभटिा प्रमाखणि हो)	25,000/-		
2	ककसी चीिी कारििे या खाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई में ककसी वषभ ण्डरिरी शीरे की कुल मात्रा के 1.5 प्रनिशि से अधिक छीिि होिे पर	--		
	(क) वावषभक शीरा उत्पादि 2 लाि कु. िक	1,00,000/-		
	(ि) वावषभक शीरा उत्पादि 2 लाि कु से अधिक 4 लाि कु. िक	1,50,000/-		
	(ग) वावषभक शीरा उत्पादि 4 लाि कु से अधिक और 5 लाि कु. िक	2,00,000/-		
	(घ) वावषभक शीरा उत्पादि 5 लाि कु. से अधिक।	2,50,000/-		
3	चीिी कारििे या खाण्डसारीचीिी ववनिमाषण इकाई की ण्डरिण िमि में कमी होिे पर	2,50,000/-		
4	कच्चा/पतका वपट आच्छाददि ककये त्रिबा शीरे का ण्डरिण ककये िािे पर	1,50,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
5	यदद चीिी कारििे या खाण्डसारीचीिी	1,50,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-

।उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (अष्टम संशोि) नियमावली, 2021 द्वारा संशोधि।

	इकाई के तेल काटे/ वेत्रि का प्रमाणित हो			
6	चीनी कारि या खाण्डसारीचीनी वनिमाषण इकाईमें पंडरिरी शीरे की गुणवत्ता में हास/कमी होना ररसाव (Leakage), स्वदहि (Auto combustion)	1,50,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
7	अलली में पंडरिरी दशाभयी गयी शीरा की मात्रा से अधिक पाये जाने पर	1,00,000/-	2,00,000/-	2,50,000/-
8	शीरे से सम्बन्धित वदहि अलली में/ लेनाओं का अुरिण ककया जाा	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
9	चीनी कारि या खाण्डसारीचीनी वनिमाषण इकाईमें गेचिाटभ का सिम सूरि से भुमोदि करारा जाा	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
10	चीनी कारि या खाण्डसारीचीनी वनिमाषण इकाईके पाक्षिक िथा मालसक ववरण पत्रों का ववलम्बिब/वुदट पूणभ रूप से प्रसुि ककया	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
11	शीरे से सम्बन्धित अलली में का अपूणभ पाया	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
12	चीनी कारि या खाण्डसारीचीनी वनिमाषण इकाईमें डडपराडस का अुरिण ककया जाा	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
13	चीनी कारि या खाण्डसारीचीनी वनिमाषण इकाईमें सैम्पलर का अुरिण ककया जाा	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
14	टैको में पंडरिरी शीरे की गुणवत्ता बिाये रिने के ललए पुः पररसंचरण पम्प एवं टैको के चारो ओर पाी नछड़के के ललए स्प्रेकोआइल का ि लगाया जाा	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
15	शीरा पंडरिरी टैको में फ्लोट प्रणाली का ि होा	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
16	शीरा परेषण हेिु प्रयुति वाहीं डडप्जिल लॉकसकजि ि होा अथवा िी0पी0एस0 का ि लगा होा अथवा िी0पी0एस0 प्रणाली का कायभ ि करारा	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-
17	रमांक-1 से 16 िक कोई अन्य अनियलमिाओं ि उक्लि ि हो।	50,000/-	1,50,000/-	2,50,000/-

1. उपरोति समस्ि मामलों में अधिरोवपि प्रशमि शुल्क को सम्बन्धित अनियलमिाओं हेिु न्यूमि िरालश माा िायेगा।

2. उपरोति सारणी में कम संख्या 8 से 16 िक में उक्लिखि प्रशमि योग्य अनियलमिाओं हेिु, अपर आबकारी आयुति (प्रशासि) उत्तर प्रदेश और इस श्रेणी से उच्च अधिकारी प्रशलमि ककये िा िथा प्रशमि शुल्क को स्वीकार करि हेिु प्राधिकृत ककया िायेगा।

40. नियंत्रक की आज्ञा के ववरुद्धि अपील (ारारा 9 तथा 12)- अधिनियम की िारा 8 की उपारा (1) या (3) के अीि नियन्त्रक की आज्ञा से िुब्ि कोई व्यक्ति उस आज्ञा के, कसिके ववरुद्धि अपील की िाय, ददिंक से िीस ददि के रीर राज्य सरकार के पास अपील कर सका है।

41. उप आबकारी निरीिक के भलए कायाषलय और आवास गृह की व्यवस्था (ारारा 18)-41. उप आबकारी निरीिक / निरीिक आबकारी के भलए कायाषलय और आवास गृह की व्यवस्था-

(1) प्रत्येक चीनी कारि का अध्यासी कारि या खाण्डसारी चीनी वनिमाषण इकाई की सीमाओं के रीर उप निरीिक / निरीिक आबकारी के ललये युक्तियुति ककराये पर, ककनुि िो उप निरीिक / निरीिक आबकारी के कुल मालसक आारूि वेि के 10 प्रनिशि से अधिक ि हो, उपयुति आवास गृह की व्यवस्था करि के ललये बाध्य होगा।

(2) िहाँ चीनी कारि या खाण्डसारी चीनी वनिमाषण इकाईद्वारा उप निरीिक / निरीिक आबकारी का उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (िवम संशोि) नियमावली, 2026 द्वारा अनुिववभष्ट।

व्यवस्थित आवास स्थाि ऐसे स्थाि पर स्थि हो, कसिके कक उप निरीिक / निरीिक अधिनियम या इस नियमावली के अीि अपि कृत्यों िथा कत्तभव्यों का पालि करि में असमथभ हो िो अध्यासी के ललये यह अनिवायभ होगा कक वह उति प्रयोि के निलमत्त उप निरीिक/निरीिक के ललये निःशुल्क कायाभलय स्थाि की व्यवस्था करे।

(3) ककराया या आवास गृह अथवा कायाभलय स्थाि की उपयुतिा के बारे में वववाद होि की दशा में उति मामला नियन्त्रक को अलर्ददष्ट ककया िायेगा और उस पर नियन्त्रक का निणभय अक्न्मि िथा बाध्यकारी होगा।

34. पररलशष्ट-2 का संशोि

पररभशष्टि-2
(नियम 34 देखें)

क्र.स.	रजस्त्र/वववरण-पत्र-अभिलेख / वववरणों का ब्यौरा	ककसके द्वारा रखा जायेगा और/या िजा जायेगा	
1	उत्तर प्रदेश में चींी कारिों या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाईयों में शीरे के उत्पादि िथा ववरण का पाक्षिक वववरण-पत्र	समस्ि चींी कारिों या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाईयों के अध्यासी द्वारा	शीर व्य
2	उत्तर प्रदेश में चींी कारिों या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाईयों में वपछले मौसम के शीरे का स्टाक का वववरण-पत्र	िदैव	
3	रेलवे टंकी वेगों के ललये मांग-पत्र र्ेिि िथा उिके स्थापि (Placement) का पाक्षिक वववरण-पत्र	िदैव	
4	प्रवेश पत्र	िदैव	
5	शीरा प्राप्ि का प्रमाण-पत्र	उत्तर प्रदेश के ककसी र्ी चींी कारिि या िण्डसारी चींी ववनिमाभणिकाभ इकाई से शीरा प्राप्ि करि वाले सर्ी व्यक्ति	शीर का चीं
6	चींी कारिि या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाई के शीरे के दहसाब का रक्िस्टर	उत्तर प्रदेश के समस्ि चींी कारिों या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाईयों के अध्यालयों द्वारा	
7	आसवि के शीरे के लेि के रक्िस्टर	उत्तर प्रदेश की आसवि िथा अन्य प्रदेशि ग्रहीिा	
8	टंकीवार संग्रहण शीरे का पाक्षिक वववरण-पत्र कसिमें परिवार शीरे की शकभरा शतकर की मात्रा दी िाय	चींी कारिि या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाई के अध्यासी	
9	शीरे के वावषभक उत्पादि का ङुमाि	उत्तर प्रदेश के समस्ि चींी कारिों या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाईयों के अध्यासी	
10	शीरे के संग्रहण का मालसक वववरण-पत्र	उत्तर प्रदेश के समस्ि आसवक	शीर
11	शीरा प्राप्ि होि के वववरण	िदैव	
12	निरीिक पुस्िक	उत्तर प्रदेश के समस्ि चींी कारिों या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाईयों के अध्यासी	
13	शीरे के ललए संग्रहण टंकी का गेि रक्िस्टर	समस्ि चींी कारिों या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाईयों के अध्यासी और आसवनियां	
	प्रस्िुि करि का अक्िम ददिांक	ववदहि प्रपत्र	
	वपछले पिवारे के सम्बन्ि में प्रत्येक माह के प्रथम िथा सोलहवें ददिांक को	शीरा प्रपत्र-1	
	वपछले मास के ललये प्रत्येक माह के पांचवे ददिांक को	शीरा प्रपत्र-2	
	वपछले पिवारे के संबंि में प्रत्येक माह प्रथम िथा सोलहवें ददिांक को	शीरा प्रपत्र-3	
	चींी कारिि या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाई से शीरा निकलि के ददि	शीरा प्रपत्र-4	
	पारेषण प्राप्ि होि के एक सप्िाह के र्ीरि	शीरा प्रपत्र-4 के दूसरी ओर	
	-----	शीरा प्रपत्र-5	
	-----	शीरा प्रपत्र-6	
	िसा नियम 11 में निदेश ददया गया	शीरा प्रपत्र-7	
	संबंधि वषभ (िो पहली िवम्बर से प्रारम् हो) के पूवभ 31 अगस्ि	शीरा प्रपत्र-9	
	वपछले माह के ललए प्रनि माह के पांचवे ददिांक िक	शीरा प्रपत्र-10	
	िदैव	शीरा प्रपत्र-11	
	-----	शीरा प्रपत्र-12	
	प्रत्येक वषभ 31 अगस्ि	शीरा प्रपत्र-14	

35. शीरा प्रपत्र -1 का संशोि-

शीरा प्रपत्र -1

(नियम 31- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

टंकीवार पाक्षिक िथा साप्िादहक वववरण-पत्र कसिमें ददिांक..... को समाप्ि होि वाली अवधि में चींी कारिि याखाण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाई में चालू मौसम में शीरे का उत्पादि और प्रेषण (प्रत्येक माह के प्रथम और सोलहवें ददिांक को र्ेिा िायेगा और सर्ी मात्रा क्तवन्तलों में दी िायगी)।

संग्रहण िंकी कीक्र.सं.		पखवारेके प्रारम्ि में दहसाब से स्िका में शीरे का प्रारम्िक शेर्		पखवारे प्राप्तमा
1		2		3
पिवारे में रेिा गया शीरा				
आसर्वी का िाम	सम्िररत मात्रा		आसोत्र बाह्य भुिज्ञाप्यो को सम्िररत मात्रा	औद्योधगव को सम्िर
5(क)	5(ि)		5(ग)	5(घ)
स्तम्ि 5(ख), 5(ग), 5(घ) और 5(ड) का योग		पखवारे के अन्त में शीरे का इनतशेर् स्तम्ि 4 एवं 6 का अन्तर धििा चादहए	वास्तववक सत्यापि के पश्चात् पखवारे के अन्त में वास्तववक इनतशेर्	संग्रहण िय
6	7		8	9
िंकी के शीरे के ववश्लेर्ण का पररणाम				
शकषरा	शक्कर की प्रनतशत (अपचायक शक्कर के रूप		ववश्लेर्क का िाम और हस्तािर	
11(क)	11(ि)		11(ग)	

मै प्रमाखणि करिा हूँ कक उपयुभति वववरण-पत्र ठीक-ठीक िैयार ककया गया है।

चीिी कारििे या खाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई

के अध्यासी काहस्िारि और ददिांक

अविय-

- (1) वववरण-पत्र चार प्रनियों में िैयार ककया िािा चादहए। मूलप्रनि शीरा नियंत्रक को रेिी िािी चादहए, दूसरी प्रनि चीिी कारििे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई में नियुति उप-निरीिक/निरीिक आबकारी को, िीसरी प्रनि सम्बक्ि िेत्रीय आबकारी निरीिक को रेिी िािी चादहए और कायाभलय प्रनि के रूप में चौथी प्रनि चीिी कारििे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई के अध्यासी द्वारा रि ली िाय।
- (2) यदद ककसी मास में ककसी टंकी के शीरे में शकभरा या शतकर की कुल प्रनिशि में कमी हो िाय िो इसे अभ्युक्ति स्िम् में या वववरण-पत्र की दूसरी ओर एक पृथक दटप्पणी में पूरी िरह से स्पष्ट ककया िािा चादहए।
- (3) स्िम् 10 के प्रनिशि की गणिा स्िम् 4 में दी गई मात्रा पर की िािी चादहए।
- (4) एक टंकी से दूसरी टंकी में संरमण को अभ्युक्ति स्िम् में स्पष्ट ककया िािा चादहए।
- (5) प्रत्येक टंकी का लेिा अलग-अलग ददया िािा चादहए और लेिे के अन्ि में एक मोटी रेिा िींच दी िािी चादहए।

36. प्रपत्र शीरा-2 का संशोि

शीरा प्रपत्र -2

(नियम 31- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

महीेवार वववरण-पत्र क्िसमें ...20..... के ललए चीिी कारििे या खाण्डसारी चीिी ववनिमाषण इकाई में वपछले मौसम के शीरे का टंकीवार स्टाक और उसका निस्िारण ददया गया है।

संग्रहण टंकी की संख्या	मास के प्रारम्भ में लेिािुसार स्टाक में शेष शीरा	मास में रेेिा गया शीरा			
		आसवि का िाम	रेेिी गयी मात्रा	आसोत्र बाह्य भुिज्ञापयों को सम्ररि मात्रा	औद्योधगक इकाइयों की सम्ररि मात्रा
1	2	3(क)	3(ि)	3(ग)	3(घ)
सम्मोचि आज्ञा के अिीि व्यापार की बेची गई मात्रा		सिम्र 3(ि) (ग) (घ) और 4 का योग		मास के अन्ि में शीरे का इनिशेष सिम्र 2 सिम्र 5	
4		5		6	
मास के अन्ि में टंकीवार वासिववक इनिशेष					
7					
संग्रहण िय			प्रनिशि िय		

8		9	
शीरे के ववश्लेषण का पररणाम			अभ्युक्तियां
शकभरा	शतकर की प्रनिशि अपचायक शतकर के रूप में	ववश्लेषक का िाम और हस्िारि	
10(क)	10(ि)	10(ग)	11

मैं प्रमाखणि करि हूँ कक उपयुभति वववरण-पत्र ठीक-ठीक िैयार ककया गया है।

चीिी कारििे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाभणिकाभ
इकाई के अध्यासी का हस्िारि और ददिांकअविय-

- (1) वववरण-पत्र चार प्रनियों में िैयार ककया िािािा चादहए। मूलप्रनि शीरा नियंत्रक को र्ेिी िािािा चादहए, दूसरी प्रनि चीिी कारििे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाभण इकाई में नियुति उप-निरीिक / निरीिक आबकारी को, िीसरी प्रनि सम्बक्न्ि िेत्रीय आबकारी निरीिक को र्ेिी िािािा चादहए और कायाभलय प्रनि के रूप में चौथी प्रनि चीिी कारििे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाभण इकाई के अध्यासी द्वारा रि ली िाय।
- (2) यदद ककसी मास में ककसी टंकी के शीरे में शकभरा या शतकर की कुल प्रनिशि में कमी हो िाय िो इसेअभ्युक्ति स्िम् में या वववरण-पत्र की दूसरी ओर एक पृथक दटप्पणी में पूरी िरिह से स्पष्ट ककया िािािा चादहए।
- (3) स्िम् 9 में अपेक्षि प्रनिशि की गणि स्िम् 2 में दी गयी कुल मात्रा पर की िािािा चादहए।
- (4) एक टंकी से दूसरी टंकी में संरमण को अभ्युक्ति स्िम् में स्पष्ट ककया िािािा चादहए।
- (5) प्रत्येक टंकी का लेिा अलग-अलग ददया िािािा चादहए और लेिे के अन्ि में एक मोटी रेिा िींच दी िािािा चादहए।

37. शीरा प्रपत्र-3 का संशोि

शीरा प्रपत्र -3

(नियम 17- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

उत्तर प्रदेश की चीिी कारििे या खाण्डसारी चीिीववनिमाभण इकाई..... 20.....को समाप्ि होिे वाले पि में रेलवे टंकी वैगिों के ललये मांग-पत्रों और ििकी स्थापिा का पाक्षिक वववरण-पत्र।

मास िथा ददिांक	चीिी कारििे या िाण्डसारी ी ववनिमाभण इकाई के अध्यासी द्वारा गये टंकी वैगिों की	चीिी कारििे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाभण इकाई द्वारा रेलवे को र्ेिे गये पत्र की अलर्देय संख्या	चीिी कारििे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाभण इकाई की साइडडंग में उसददिांक को ददये गये ररति टंकी वैगिों की संख्या	उस ददिांक को शीरे से लदे हुए र्ेिे गये वैगिों की संख्या
1	2	3	4	5
1				
पिवारे का कुल योग				

मैं प्रमाखणि करि हूँ कक उपयुभति वववरण-पत्र ठीक-ठीक िैयार ककया गया है।

चीिी कारििे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाभण
इकाई
के अध्यासी का हस्िारि और ददिांक

अविय—

- (1) यह वववरण-पत्र चार प्रनियों में िैयार ककया िायेगा। मूलप्रनि शीरा नियंत्रक को रक्िस्टडभ डाक द्वारा र्ेिी िायेगी, दूसरी प्रनि चीिी कारििे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाभण इकाई में िैिािािा उप-निरीिक / निरीिक आबकारी को, िीसरी प्रनि सम्बक्न्ि िेत्रीय आबकारी निरीिक को र्ेिी िायेगी और चौथी प्रनि चीिी कारििे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाभण इकाई में अध्यासी द्वारा कायाभलय अलर्लेि के रूप में रि ली िायगी।
- (2) यह वववरण-पत्र ववगि पिवारे के ललए शीरा प्रपत्र-1 के साथ प्रत्येक मास के प्रथम िथा सोलहवें ददिांकको र्ेिा िायेगा।

38. शीरा प्रपत्र-4 का संशोि

शीरा प्रपत्र -4

(नियम 18- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

पुक्िका संख्या.....प्रवेश पत्र संख्या..... मूल/दूसरी/िीसरी/चौथी/पाचवी प्रनि ददिांक.....

- 1- चीिी कारििे या िाण्डसारी चीिी ववनिमाभण इकाई का िाम-----
- 2- परलमट संख्या.....ददिांकिक वैि। प्रवेशि आज्ञा
संख्या
- 3- रेिा का िाम और पिा.....
4. रेल/लारी/ठेला..... द्वारा र्ेिा गया/ददया गया।
5. शीरे की टंकी िािे/ददये िािे का वववरण.....

संग्रहण टंकी किससे शीरा रूँ ददया गया			
संग्रहण टंकी का प्रकार (क)		संग्रहण टंकी की रम संख्या (ि)	टंकी/वैगि/दटि /लारी पात्र कृिका उपयोग ककया गया हो
1		2	
रूँ ददये गये शीरे का ववरण			
मात्रा (क्तवन्तल) (क)	कृििि प्रनिशि कुल शतकर है (अपचायक शतकर के रूप में) (ग)		श्रेणी (घ)
3			

चीी कारिी या िाण्डसारी चीी ववनिमाभण इकाई
के अध्यासी का हस्िर और ददिंक

दिपणी-

(1) प्रवेश पत्र चार प्रनियों में िेयार ककया िेयेगा कृिका प्रयोग निम्िललिखि प्रकार से ककया िेयेगा:

मूल प्रनि चीी कारिी या िाण्डसारी चीी ववनिमाभण इकाई में नियुति उपनिरीिक / निरीिक आबकारी को या उसकी अिपक्स्थनि में आबकारी अधिकारी को, िो नियंत्रक द्वारा िाम निददभष्ट ककया िाय, दूसरी िथा िीसरी प्रनिया शीरे के परेषण के साथ िायेंगी, दूसरी प्रनि शीरे के प्राक्ि के पश्चाि परेवर्षी के हस्िर के साथ लौटा दी िाय और चौथी प्रनि चीी कारिी या िाण्डसारी चीी ववनिमाभण इकाई के अध्यासी के द्वारा कायाभलय के अलर्ी के रूप में सावािी के साथ रि ली िाय ।

(2) पंक्त संख्या 4 में निम्िललिखत भलखखये -

(1) यदद शीरा रेल द्वारा रूँ ददया गया हो, उस रेलवे स्टेशि का िाम
(2) यदद शीरा लारी द्वारा रूँ ददया गया हो और साथ में पररलमटारी या उिका प्रनिनिधि ि हो िो लारी ड्राइवर का िाम (3) यदद शीरा गाडी (काटभ) या ठेले, आदद से रूँ ददया गया हो िो परलमट िारी या उसके प्रनिनिधि का िाम

(3) पंक्त संख्या 5 के स्तम्ि 2 में :-

(1) यदद शीरा रेल/लारी द्वारा रूँ ददया िाय िो टैंक वैगि िम्बर या लारी िम्बर
(2) यदद शीरा पात्रों द्वारा रूँ ददया िाय/ददया िाय िो प्रत्येक प्रकार के पात्रों (टीि, ड्रम आदद) को कुल संख्या और प्रत्येक प्रकार के पात्रों में शीरे की औसि मात्रा (क्तवन्तलों में), दिभ कीकृिये।
(4) शीरे की प्राक्ि की स्वीकृनि प्रवेश पत्र के दूसरी ओर की िािी चादहए (िो अंश लागू ि हो उन्हें काट दीकृिये)।

पृष्ठ ऱाग पर

दूसरी ओर पर अंककि.....क्तवन्तल शीरा प्राप्ि हुआ।

(द्वार पर शीरा लेिे वाले)

परलमटारी/प्रनिनिधि का हस्िर और ददिंक

प्रमाखणि ककया िािा है कक..... क्तवन्तल शीरा.....शकभरा.....का.....प्रनिशि कुल शतकर और..... श्रेणी
का..... ददिंक..... को आसवि में िेसा ददिंक,.....को.....की सहायि से पूरे हुए नियंत्रण परीणि से पाया गया/प्राप्ि हुआ।

प्रारी आबकारी निरीिक, शीरा नियंत्रक,

प्रनिहस्िरि उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृि आसवि अधिकारीआसवि प्रबन्िक

हस्िरि.....ददिंक: ददिंक.....

दिपणी- 1- यदद आसवि आबकारी निरीिक या शीरा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृि ककसी अन्य व्यक्ति द्वाराककये गये नियंत्रण परीणि से सहमि ि हो िो प्रनिहस्िरि अपेक्षि िहीं है। ऐसी दशा में प्रबन्िक को चादहए कक वह वास्िववक रूप से प्राप्ि मात्रा का उल्लेि करे और उस पर हस्िरिकरे।

शीरा प्रपत्र- 5

(नियम 31- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

चीी कारिी या खाण्डसारी चीी ववनिमाभण इकाई के शीरे के लेिा का रक्िस्टर

दटप्पणी-

(1) इस रक्िस्टर में चीी कारिी या खाण्डसारी चीी ववनिमाभण इकाई के शीरे की संग्रहण टंककयों की क्स्थनि प्रदलशभि करि वाले ितशे (Blue Print)की एक प्रनि अन्दर धचपकाये ललिािे में रि िायगी।

(2) यह रक्िस्टर अिरमखणका सदहि िीि ऱागों में होगा।

(3) सर्ी अंक क्तवन्तलों में होंगे।

(4) कुल शतकर का िात्ययभ अपचायक शतकर के रूप में व्यति समस्ि शतकर से है।

अिक्रमखणका का प्रपत्र

1	2	3
		ववमा

शीरे की संग्रहण टंकियों की प्रददष्ट रम-संख्या	टंकी का प्रकार	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	90त्रितस के शीरे के धुसार िरण करि की िमि	प्रददष्ट पृष्ठ
1						
2						
3						

शीरा प्रपत्र-6

(नियम 31- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

(आसवि के शीरे का लेखा रण्डस्रि)

(यह उ०प्र० की सर्ी आसवनियों द्वारा रि िायेगा) यह धुरिमखणका सदहि दो र्ागों में होगा। सर्ी अंक क्तवन्तलों में होंगे। कुल शतकर का िात्ययभ अपचायकशतकर से है।

धुरिमखणका प्रपत्र

शीरा सम्रण करि वाले चीीी कारििे या िण्डसारी चीीी ववनिमाभण इकाई का िाम	आसवि को प्रववष्ट शीरे कीमात्रा	प्रदेशि आज्ञा का ब्योरा संख्या (क) ददिक (ि)	प्रददष्ट पृष्ठ
1	2	3	4

शीरा प्रपत्र -6

िाग-1

(आसवि के शीरे का लेखा रण्डस्रि)

शीरा सम्रण करि वाले चीीी कारििे या खण्डसारी चीीी ववनिमाभण इकाई का िाम.....

ददिक	शीरे का प्रारम्भक शेष	चीीी कारििे या िण्डसारी चीीी ववनिमाभण इकाई से र्ेिी गई मात्रायें			आसवि को प्राप्ि शीरा	
					मात्रा(क)	
		प्रवेश पत्र संख्या (क)	ददिक (ि)	मात्रा (ग)	िौल से (1)	गणिा द्वारा (2)
1	2		3			
आसवि को प्राप्ि शीरा नियंत्रण परीणि (ि)			मागभस्थ हानि(ग)	उस टंकी की कम संख्या िहा संग्रह ककया गया (घ)	टंकी की रम संख्या (क)	दी गई मात्रा(ि)
श्रेणी(1)	शकभरा(2)	प्रनिशि कुल शतकर(3)				आसवि के आबकारी निरीिक के संक्षिप्ि हस्िििर (ग)
4			5			

शीरा प्रपत्र-6

िाग-2

(आसवि के शीरे का लेखा रण्डस्रि)

शीरा सम्रण करि वाले चीीी कारििे या खण्डसारी चीीी ववनिमाभण इकाई का िाम.....
पृष्ठ.....

रं.सं.	ददिांक	ददिांक को प्राप्ि शीरा (िैसा प्रर्ारी आबकारी निरीिक द्वारासत्यावपि ककया गया)		र्ाग- 1 में प्रववष्ट ददिांक पृष्ठ	
1	2	3(क)	3(ि)	4(क)	
चीीी कारििे या खाण्डसारी चीीी ववनिमाषण इकाई को देय मूल्य			चीीी कारििे या खाण्डसारी चीीी ववनिमाषण इकाई को ददया गया मूल्य		
प्रनि कुंटल दर शीरे का	ददिांक को प्राप्ि शीरे का मूल्य	आ ददिांक िक प्राप्ि शीरे का कुल मूल्य	ददिांक को ददया गया मूल्य	आ ददिांक िक ददया गया मूल्य	अभ्युक्तियां

4(ि)	5(क)	5(ि)	6(क)	6(ि)	7
------	------	------	------	------	---

दिष्पणी-- प्रत्येक चींी कारिंे या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाई के ललये प्रत्येक वषभ एक अलग रम संख्या दी िंी चादहये। प्रत्येक चींी कारिंे या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाई के ललये पृथक पृथक प्रववक्ष्ट ककये िंी चादहये।

शीरा प्रपत्र 6

िंाग-3

(नियम-31/32- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974) आसवनियों से लर्न्ि प्रदेशि ग्रहींोओ द्वारा प्राप्ि िथा प्रयुति शीरे का दैनिक लेंिा (सर्ी अंक क्तवन्तलों में)

प्राप्ि शीरे का वववरण								
ददिंक	प्रारम्भक शेष	परलमत संख्या	ददिंक	किस चींी कारिंे कारिंे या खाण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाई से प्राप्ि हआ उसका िंाम	प्रवेश पत्र संख्या	प्रवेश पत्र में उक्ल्लिखिं मात्रा	मागभस्थ िय	प्राप्ि मात्रा
1	2	3(क)	3(ि)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	3(च)	3(छ)
संिम् 2 और 3(छ) का योग	उपर्ोग के ललये निगभि मात्रा		इनि शेष			अभ्युक्तियाँ		
4	5		6			7		

प्रत्येक प्रदेशि ग्रहींो ऐसे शीरे को िो उसे प्रददष्ट ककया गया हो और क्सिका उसि उपर्ोग ककया हो, एक मालसक वववरणी शीरा उपयुभति प्रपत्र में शीरा नियंत्रक को प्रस्ुि करेगा।

शीरा प्रपत्र-7

(नियम 11- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

संग्रहण िंकी में संग्रहीत शीरे के भसरे, मध्य और पेंदी के परतों की शकषरा और चींी का िंकीवार पाक्षिकवववरण-पत्र

र.सं.	संग्रहण संख्या	टंकी की	टंकी में संग्रदहि शीरे की मात्रा	शीरे की टंकी की कुल गहराई	परि की से0मी0 में गहराई
1	2	3	4	5	
शीरे के ववश्लेषण का पररणाम					
शीरे की ऊपरी परि		मध्य की परि		िीचे की परि	
त्रितस	शतकर का प्रनिशि (अपचायक शतकर के रूप में)	त्रितस	शतकर का शकभरा प्रनिशि (अपचायक शतकर के रूप में)	त्रितस	शतकर का प्रनिशि (अपचायक शतकर के रूप में)
6					
ववश्लेषक का िंाम और हस्िंिर			अभ्युक्तियाँ		
7			8		

में प्रमाखणि करिा हूँ कक उपयुभति वववरण-पत्र ठीक-ठीक िैयार ककया गया है।

चींी कारिंे के या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाई अध्यासी का हस्िंिर और ददिंक अविय (1)— वववरण-पत्र चार प्रनियों में िैयार

ककया िंािा चादहए। मूलप्रनि शीरा नियंत्रक को रेंिी िंािी चादहए, दूसरी प्रनि चींी कारिंे या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाई में नियुति उप-निरीक/निरीक आबकारी को, िीसरी प्रनि िेत्रीय आबकारी निरीक को रेंिी िंािी चादहए औरकायाभलय प्रनि के रूम में चौथी प्रनि चींी कारिंे या िण्डसारी चींी ववनिमाभण इकाई के अध्यासी द्वारा रि ली िाय।

शीरा प्रपत्र -9

(नियम 12- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

(उत्तर प्रदेश के चीनी कारिगों या ाण्डसारी चीनी ववनिमाभण इकाईयों के अध्यालसयों द्वारा शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश को प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक प्रस्तुत किया जाएगा।

.....गन्ने की पैराई के मौसम में..... चीनी कारिगों या ाण्डसारी चीनी ववनिमाभणइकाई में शीरे का
अनुमानित उत्पाद

1- निम्नलिखित का नाम और पि (केवल उन व्यक्तियों के नाम ललें ाने चादहये िे क्मिंदार

हो)-(क) स्वामी.....

(ि)अध्यासी.....

(ग)प्रबन्धिक.....

2. शीरे का उत्पाद (क्वटल में).....

वववरण	वपछले वर्ष की वास्विक मात्रा	इस वर्ष की अनुमानित मात्रा	अभ्युक्तियां
1-मौसम की अवधि-			
(क) प्रारम्भ होने का दिनांक			
(ि) समाप्ति होने का दिनांक			
2- गन्ने का समग्रण (क्वटलो में)			
3-शीरे का उत्पाद क्वटलो में			
4- गन्ने में शीरे की मात्रा का प्रतिनिधि			

3-शीरे के ललए संग्रहण टंककयों का वववरण

टंकी (टंककयों का प्रकार)	आच्छादित		अच्छादित	
	कुल संख्या	कुल िमि(क्वटल में)	कुल संख्या	कुल िमि (क्वटलो में)
1	2	3	4	5

लोहे की

धुआई.....

कच्चा.....

4- टंकी वैगों की अधिकतम संख्या क्ने चीनी कारिगों या ाण्डसारी चीनी ववनिमाभण इकाई आसववियों की शीरे का सम्मरण कर के ललए प्रतिदिन लाद सकि है

1- बड़ी लाइ साइडंग से

2- छोटी लाइ साइडंग से

5- यांत्रिक/शारीरिक साधनों का िे चीनी कारिगों या ाण्डसारी चीनी ववनिमाभण इकाई के पास शीरे को लादि के ललए हो, का वववरण ददया िाये।

चालू मौसम में शीरा ददये िाने का वववरण

1- आसववियों को 15 अगस्त तक ददया गया।

2- आउट स्टल अनुभवयो िथा अन्य प्रदेशीहीिाओं को ददया गया।

3- व्यापार के ललए बेचा गया

4- इनिशेष, वास्विक

(क) मुति मात्रा यदद कोई हो

(ि) मुति ि की गई मात्रा

5-िय

अविय- चालू मौसम का िात्यय वपछले पहली िम्बर को प्रारम्भ होने वाले गन्ने के पैराई वर्ष से है।

चीनी कारिगों या ाण्डसारी
चीनी ववनिमाभण इकाई के अध्यासीके
हस्िारि
दिनांक

शीरा प्रपत्र-10

(नियम 6- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

उत्तर प्रदेश की..... आसवी में..... माह..... 20..... का शीरे के संग्रहणका वववरण पत्र।

मूल/दूसरी/ीसरी प्रति

संग्रहण टंकी की रम सं०	संग्रहण टंकी का प्रकार	वपछले पहली िवम्बर को शीरे का वासिववक प्रारम्भक शेष (क्तवटलो में)	माह के अं िक प्राप्ि शीरे की कुल मात्रा (क्तवटलो में)	संिम् 3 और 4 का योग (क्तवटलो में)	मास के अं िक निगभि शीरे की कुल मात्रा (क्तवटलो में)	लेिा - िुसार इनिशेष (क्तवटलो में)
1	2	3	4	5	6	7
सत्यापि के पश्चाि वासिववक स्टक (क्तवटलो में)	संग्रहण िनि (क्तवटलो में)	प्रनि (संग्रहण िनि)	चीिी कारिशििे या िाण्डसारी चीिी वनिमाभण इकाई के आंकडों के िुसार आसवनियों को आिक्	11		12
8	9	10	11		12	

आसवि के प्रबन्िक के हसिारि और ददिांक

आसवि के प्ररारी निरीिक के प्रनि-हसिारि और

ददिांक अविय-

- (1)वववरण-पत्र िीि प्रनियों में आसवकों द्वारा िैयार ककया िािािा चादहये और िुवि माह के 5वें ददिांक िक प्रसिुि ककया िािािा चादहये। मूल प्रनि शीरा नियंत्रक को दूसरी प्रनि चािभ के उपआबकारी आयुक्त को और िीसरी प्रनि कायाभलय अलर्ी के ललए साविािी से री िािािा चादहये।
- (2)संिम् 9 में कोष्ठक के बीच वपछली पहली िवम्बर से मास के अन्ि िक की संग्रहण िनि का प्रगामी योग लाल स्याही में दीकिए।
- (3)सर्ी अंक क्तवटलों में होंगे।
- (4)ववलर्ी संग्रहण टंककयों के अंक अलग-अलग पंक्ति में एक टंकी के ललए एक पंक्ति ललिािा चादहये। अक्िम टंकी की प्रववक्षट के िीचे एक रेिा िीचि होगी। इस रेिा के िीचे सर्ी टंककयों का कुल योग संिम् 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में ललिािा चादहये।

शीरा प्रपत्र -11

(नियम 25- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

उत्तर प्रदेश की.....आसवि की चीिी कारिशििे या िाण्डसारी चीिी वनिमाभण इकाई केद्वारा -----माह.....20.....में प्राप्ि शीरे का वववरण पत्र।

प्रवेश पत्र			रूँे गये शीरे का दहसाब					
र.सं.	संस्था (क)	ददिांक (ि)	टैक वैगि की संख्या/लारी की संख्या आदद (क)	शीरे की मात्रा(ि)	शकभरा(ग)	श्रेणी (घ)	प्रवेश पत्र संख्या (1)	प्रवेश पत्र ददिांक(2)
1	2		3					
प्राप्ि शीरे का दहसाब								
टैक वैगि की संख्या / लारी की संख्या आदद	शीरे की मात्रा (ि)	शकभरा (ग)		िय (ङ)	सत्यापि का ददिांक (च)	5		
4						5		

प्रनि हसिारि और ददिांक हसिारि और ददिांक

आसवि प्ररारी आबकारी निरीिक प्रबन्िक आसवि

अविय- (1)- वववरण पत्र शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश को िुवि माह के ददिांक िक प्रसिुि ककया िािािा चादहये। (2) प्रत्येक चीिी कारिशििे या **खाण्डसारी चीिी वनिमाभण इकाई** के ललए अलग वववरण-पत्र िैयार ककया िािािा चादहए। (3) सर्ी अंक क्तवटलों में होंगे।

(4) अक्िम प्रववक्षट के पश्चाि एक रेिा िींधचएऔर इस रेिा के िीचे संिम् (मा) और 4 (ि) में मास का कुल योग ललखिए। इस प्रववधि: के िीचे वपछले 1 िवम्बर से सम्बक्िमिमास के अन्ि िक का प्रगामी योगललखिये।

शीरा प्रपत्र -12

(नियम 34- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

निरीण पुक्का, िो उत्तर प्रदेश के समस् चीी कारिों या खाण्डसारी चीीववनिमाषण इकाईयों के अध्यालयों द्वारा िींयेगी। यह दो ागों में होगी। प्रथम ाग में लगर्ग 10 पृष्ठ और दूसरे ाग में लगर्ग 200 पृष्ठ होंगे।

राग-1

र.सं.	निरीण अधिकारी का िाम और पद	चीी कारिों या खाण्डसारीचीी ववनिमाषण इकाई का निरीण करि का ददांक	शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश को निरीण दटपणी की प्रनि प्रस्िुि का ददांक	चीी कारिों या खाण्डसारीचीी ववनिमाषण इकाई के प्रबन्िक के
1	2	3	4	5

शीरा प्रपत्र -14

(नियम 4 (2) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

शीरे के भलए संग्रहण िंकी का गेज रज्जस्िरी चीी कारिों या खाण्डसारी चीी ववनिमाषण इकाई/आसवि का िाम.....

टंकी की रम संख्या.....

टंकी की ववमा (डाइमेन्शि).....

लम्बाई.....

चौडाई.....

गहराई.....

पैदी से िापी गई गहराई सेंटीमीटर में	डडप के िुसार शीरे की मात्रा	90 त्रितस वाले शीरे के िुसार अधिकिम संग्रहण िमा
1	2	3

2-से० मी०

4-से० मी०

6-से० मी०

8-से० मी०

10-से० मी०

शीरा टैंक की अधिकिम संचय िमिािक 2 सेमी० के अन्िर पर

शीरा प्रपत्र -15

(नियम-उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली 1974)

तम्बाकू बिािे वालों के भलए आवेदि पत्र का फामष।-

लाइसेन्स ददांक माचभ 31,20..... िक वैि है।

2-लाइसेंसारी का िाम और पूरा पिा

3- निमाभण का स्थाि

4- वपछले िीि वर्षों में निलमभि िम्बाकू

(क) प्रयुति िम्बाकू की मात्रा क्तवटलों में 20-----20-----, 20-----20-----, -20-----20-----

(ि) िमा लाइसेंस फीसकी ििरालश

(ग) िी०एस०टी० की िमा ििरालश

(घ) िमा आयकर की ििरालश

5- क्तवटल में शीरे की मात्रा क्सिका प्रत्येक ककस्म की िम्बाकू के निमाभण में प्रयोग ककया गया हो-(क) िमीरा

(ि) बूरा

(ग) कोई अन्य प्रकार

(घ) प्रत्येक प्रकार में प्रयुति शीरे का िुपाि

प्रमाखणि ककया िािा है कक िो उपयुभति सूचा मैिे प्रस्िुि की है यह मेरी िािकारी में पूरी सही है।

िमभ/दुकाि के,

लाइसेंसारी के (ददांक सदहि) हस्िारिप्रमाखणि

ककया िािा है कक उपयुभति सूचा िो उत्पादक द्वारा प्रस्िुि की गयी है, यह मेरी िािकारी में पूरी सही है।

क्िला कलेतटर / उद्योि ववर्ाग के

अधिकारी के सनिधथ हस्िारि।